न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

पीठासीन–श्री प्रदीप कुमार सिंह–II[nd], (उच्चतर न्यायिक सेवा)।

सत्र परीक्षण वाद सं0– 898 सन् 2025

CNR No.UPBR010065972025

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

1. **युसुफ खां** पुत्र शमशाद खां,
2. **शराफत अली** पुत्र शमशाद खां,
3. **शमशाद खां** पुत्र अहमद अली खान,
4. **मुम्त्याज बानो** पत्नी शमशाद खां,

समस्त निवासीगण ग्राम फरीदापुर चौधरी, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली।

मु0अ0सं0–884/2024
अन्तर्गत धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 व
अनुकल्पित धारा 103 बी0एन0एस0
एवं धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–इज्जतनगर, जिला–बरेली

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–898 सन् 2025, मु0अ0सं0–884/2024, धारा 85, 80 बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राज्य प्रति युसुफ आदि, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामलें में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर विचारण हेतु संस्थित हुआ है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वस्तुतः सत्र वाद सं0 898 सन् 2025 है जो सी0आई0एस0 पर दर्ज होने के बाद सी0आई0एस0 द्वारा ही जनित/आवंटित किया गया है। वाद की पत्रावली पर सत्र परीक्षण सं0 454 सन् 2025 भी अंकित किया गया है जो नियमावली के अनुरूप नहीं है। वस्तुतः कार्यालय में संधारित दर्ज रजिस्टर पर उक्त वाद दर्ज करते समय उक्त रजिस्टर की क्रम संख्या 454 पर वाद दर्ज हुआ था। अतः लिपिकीय स्तर पर पत्रावली पर उसे ही वाद संख्या लिख दिया गया है

जबकि वास्तविक रूप से सत्र वाद की पहचान सी0आई0एस0 द्वारा जनित वाद संख्या ही सर्वत्र ग्राह्य है। अतः वर्तमान सत्र वाद संख्या 898 सन् 2025 ही सही वास्तविक वाद संख्या है।

(I) फौजदारी वाद प्रारम्भ होने की परिस्थितियां :–

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि वादी अकबर की बहन शाजिया की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार युसुफ अली खां से व पूरे दान दहेज के साथ 15 लाख रूपया खर्चा करके दिनांक 22.04.2019 को की थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग पति युसुफ, ससुर शमशाद खां, सास मुमताज, नन्द आयशा व अनम, देवर शराफत अली खां, निजाकत अली खां, सादिक, अली खां, व नन्दोई नईम हाफिज मौलाना, ये सभी लोग आये दिन दहेज के लिए मारपीट करते थे, परन्तु उसकी बहन अपना घर बचाने के लिए सब कुछ सहती रही। दिनांक 28.11.2024 को इन सभी लोगों ने एक राय होकर शाम 6.00 बजे रस्सी से लटका कर जान से मार दिया। उसको यह बात बहन की ससुराल के पड़ोसियों से पता चली तो वह अपने परिवार के साथ पहॅुचा तो उसकी बहन का शव चारपाई पर पड़ा था व गले पर रस्सी से फांसी देने का काला निशान पड़ा था व पूरे शरीर पर चोट के निशान थे।

3. उपरोक्त घटनाक्रम का वर्णन करते हुए थाने पर दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 02.12.2024 को समय 14.26 बजे, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–884/2084 अन्तर्गत धारा 85 व 80 बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 डी0पी0एक्ट में युसुफ एवं नौ अन्य के विरूद्ध दर्ज हुई।

4. दिनांक 29.11.2024 को मृतका शाजिया के बाबत विदित कुमार, नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर पहॅुचकर मृतका शाजिया के पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पंच नियुक्त किये गये एवं मौके पर उपस्थित म0उ0नि0 चंचल को बोल–बोलकर पंचायतनामा तैयार कराया गया एवं मौके पर चालान लाश, फोटो लाश तैयार किये गये, सी0एम0ओ0 व आर0आई0 को चिट्ठी भेजी गयी एवं शव को शव परीक्षण हेतु पोस्टमार्टम हाऊस भेजा गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना शव परीक्षण आख्या संकलित किया गया। गवाहान के बयान लेकर अन्य साक्ष्य संकलित किये गये तथा विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा नामित सादिक अली खां, निजाकत अली खां, उस्मान अली खां, कमरूल निशा उर्फ अनम, आयशा व नईमउद्दीन खां की नामजदगी झूठी पाये जाने पर उनका

नाम पृथक करते हुए आरोपपत्र अभियुक्तगण युसुफ, शमशाद खां, मुम्तयाज बानो व शराफत अली खां के विरूद्ध धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा आरोपपत्र पर दिनांक 07.04.2025 को प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में नकलें दी गयीं तथा उपरोक्त मामलें को अनन्य रूप से सत्र परीक्षण पाते हुए मामला दिनांक 05.05.2025 को सत्र सुपुर्द किया गया।

(II) न्यायालय के समक्ष विचारण :–

6. अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 19.05.2025 को धारा 85 व 80(2) बी0एन0एस0 व अनुकल्पित आरोप धारा 103 बी0एन0एस0 तथा धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप विरचित करते हुए आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की। तदोपरान्त इस न्यायालय द्वारा उनका विचारण किया गया।

7. अभियोजन द्वारा उपरोक्त विरचित आरोप को साबित करने हेतु आरोप–पत्र में नामित साक्षीगण व उनका विवरण निम्नवत् है–

अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
P.W. 1	अकबर खान पुत्र शब्बीर खान, निवासी शिकरापुर चौधरी, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली।	वादी (भाई मृतका)
P.W. 2	एच0सी0 कृष्ण कुमार घटना व साक्ष्य के समय तैनाती–थाना इज्जतनगर, बरेली।	चिक लेखक
P.W. 3	शब्बीर खां पुत्र श्री छोटे खां, निवासी ग्राम शिकरापुर चौधरी, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली।	तथ्य साक्षी (पिता मृतका)
P.W. 4	डॉ0 कौशल भारती, घटना के समय तैनाती–पोस्टमार्टम हाउस, बरेली। साक्ष्य के समय तैनाती– केन्द्रीय कारागार प्रथम, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली।	पोस्टमार्टमकर्ता
P.W. 5	शफीक उर रहमान पुत्र श्री	तथ्य/पंच साक्षी

	हबीब–उर–रहमान, निवासी ग्राम परतापुर चौधरी, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली।	(मौसेरा भाई मृतका)
P.W. 6	नायब तहसीलदार विदित कुमार, घटना व साक्ष्य के समय तैनाती–तहसील सदर, थाना कोतवाली, जिला बरेली।	साक्षी (पंचनामा)
P.W. 7	उपनिरीक्षक चंचल, घटना व साक्ष्य के समय तैनाती–थाना इज्जतनगर, जिला बरेली।	औपचारिक गवाह (पंचनामा)
P.W. 8	एस0पी0 सिटी देवेन्द्र कुमार, घटना के समय तैनाती–क्षेत्राधिकारी नगर–तृतीय, जिला बरेली। साक्ष्य के समय तैनाती–एस0पी0 सिटी, शाहजहांपुर।	विवेचक

8. अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित अभिलेखीय साक्ष्य का विवरण निम्नवत् हैं:–

प्रदर्श	**साक्षी द्वारा साबित दस्तावेज**	**अभियोजन साक्षी संख्या, जिसके द्वारा प्रपत्र साबित किया गया**
प्रदर्श क–1	तहरीर	P.W.-1
प्रदर्श क–2	चिक एफ0 आई0आर0,	P.W.-2
प्रदर्श क–3	कायमी जी0डी0	P.W.-2
प्रदर्श क–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	P.W.-4
प्रदर्श क–5	पंचायतनामा	P.W.-6
प्रदर्श क–6	नमूना मोहर	P.W.-6
प्रदर्श क–7	फोटो लाश	P.W.-6
प्रदर्श क–8	चालान लाश	P.W.-6
प्रदर्श क–9	पुलिस फार्म नं0–33	P.W.-6
प्रदर्श क–10	चिट्ठी सी0एम0ओ0	P.W.-6
प्रदर्श क–11	नक्शा नजरी कब्जा	P.W.-8
प्रदर्श क–12	आरोपपत्र	P.W.-8

9. अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित वस्तु प्रदर्श निम्नवत् हैं:–

प्रदर्श	साक्षी द्वारा साबित दस्तावेज	अभियोजन साक्षी संख्या, जिसके द्वारा वस्तु साबित किया गया
वस्तु प्रदर्श–1	सफेद सील मोहर कपड़ा कागज सं0 21क/1	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–2	सफेद सील मोहर कपड़ा कागज सं0 21क/2	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–3	सी0डी0	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–4	सी0डी0	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–5	पीला लीफाफा कागज सं0–20क/1	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–6	पीला लीफाफा कागज सं0–20क/2	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–7	पेनड्राईव	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–8	पेनड्राईव	P.W.-8

10. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 14.01.2026 को दर्ज किये गये।

11. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्ष्य में परीक्षित कराये गये साक्षीगण निम्नवत् हैं–

बचाव साक्षी संख्या	बचाव साक्षी का नाम
D.W. 1	नासिर अली खान
D.W. 2	शबरूल निशा
D.W. 3	मोहम्मद आरिफ

12. बचावपक्ष की ओर से कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

(III) अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य :–

13. अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम **वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अकबर खान** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसने अपनी बहन शाजिया की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से युसुफ अली खां के साथ अपनी हैसियत के साथ पूरे दान दहेज देकर 15 लाख रूपये लगभग खर्च करके दिनांक 22.04.2019 को की थी। वह, दो भाई, चार बहनें है। उसकी शादी हो चुकी है। वह हल्द्वानी में कार मकैनिक

का कार्य करता है। उसने अपनी बहन साजिया की शादी बिल्कुल पड़ोस के लगे गांव फरीदपुर चौधरी के युसुफ अली के साथ बहुत धूमधाम के साथ की थी। उन लोगो ने अपनी बहन को जेवर व जरूरत का समस्त घरेलू सामान व सुपर स्पलेण्डर मोटर साईकिल आदि सामान दिया था, परन्तु यह लोग दिये गये दान दहेज से खुश नही थे और निकाह के कुछ दिन बाद से ही उसकी बहन के पति युसुफ व उसके परिवार वालें युसुफ की मॉ मुमताज व पिता शमशाद खां, बहन आयशा व अनम, देवर शराफत अली खां, निजाकत अली खां, सादिक व अली खां व नन्दोई नईम हाफिज ने आये दिन दहेज के ताने देने शुरू कर दिये और दहेज में सभी लोग कभी कार मांगने थे तथा और मायके से डेढ़ लाख रूपये उसकी बहन से लाने का दबाब बनाते थे तथा आये दिन दहेज की मांग के लिए मारपीट करते थे। उसकी बहन अपना घर बचाने के लिए सब कुछ सहन करती रही। युसुफ व उसके परिवार के लोग उसकी बहन से कहते थे, तेरे भाई अकबर का काम सही चल रहा है, तू अपने घर से कुछ लेकर क्यों नहीं आती है। कई बार उसने युसुफ को व उसके परिवार को समझाया कि ऐसा करना सही नहीं है। दहेज मांगने की बातें, आये दिन मारपीट करने वाली बाते, उसकी बहन शाजिया फोन पर उसकी अम्मी अफसरी व उसे तथा उसके पिता शब्बीर खां आदि परिवार वालों को फोन से बताती थी और जब भी घर मिलने आती थी, तब भी इन सबके द्वारा किये जा रहे, अत्याचारों के बारे में बताती थी। उन लोगों का घर न बिगड़े, इसलिए शाजिया को समझा बुझाकर उसे उसकी ससुराल भेज देते थे। जब युसुफ व उसके परिवार वालों ने शाजिया के ऊपर डेढ लाख रूपये लाकर देने का दबाब बनाया और कार की मांग की जाती रही। जब यह बात उसे पता चली, तब उसने, इन लोगों से कहा कि कुछ दिनों की मोहलत दे दो। दिनांक 28.11.2024 की बात है। वह हल्द्वानी में था। फरीदापुर चौधरी में उसके मिलने वाले जीशान का फोन आया कि उसकी बहन को कुछ हो गया है कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। उसने यह खबर अपने घरवालों को दी, तो उसके घरवाले तुरन्त ही पहुॅच गये। युसुफ अली व परिवार के लोगो ने उसकी बहन के बारे में कोई जानकारी नही दी। जब वह हल्द्वानी से अपनी बहन के घर पहुॅचा, तो देखा कि बहन की लाश बरामदगे में चारपाई पर रखी थी और उसके गले पर फॉसी का निशान था। इन सभी लोगों ने उसकी बहन को फॉसी लगाकर मार दिया। जब युसुफ व उसके परिवार वालो द्वारा दहेज की मांग में एक कार व डेढ़ लाख रूपये की मांग कर रहे थे, तो उसके व परिवार वालो ने इन लोगो को कई बार समझाया और पंचायत की, लेकिन यह लोग दहेज की मांग करते रहे और नहीं

माने। युसुफ के परिवार ने युसुफ के बहनोई नईम हाफिज की ज्यादा चलती थी। इसलिए उसके कहने पर ही सब कुछ हुआ। उसकी बहन के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 29.11.2024 को सुबह 11 बजे दिन में शुरू हुई और 12.30 पी0एम0 पर समाप्त हुई थी। उसकी बहन के गले में काला फॉसी लगाने का निशान बना था। उन पंचो की राय में उसकी बहन शाजिया की मृत्यु उसके ससुराल वालों द्वारा शाजिया का रस्सी से गदा लबाकर की गयी है। पंचायतनामा की लिखा पढ़ी करने के बाद उसे पढ़कर सुनाया गया था और उसपर उसके हस्ताक्षर कराये थे और लाश को सील मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम पुलिस वालों के सुपुर्द किया था। पंचायतनामा की कार्यवाही जिला अस्पताल बरेली के मोरचरी में हुई थी और वास्ते पोस्टमार्टम बरेली मुख्यालय भेजा गया था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज सं0–7क/1 ता 7क/2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। मुल्जिमान मौके पर नहीं थे। सभी भाग गये थे। उन लोगों ने अपनी बहन के शव को लेकर उसका अंतिम संस्कार अपने घर लाकर किया था। अंतिम संस्कार के बाद उसने एक प्रार्थनापत्र कम्प्युटर वाले से कचहरी पर टाईप कराकर उसपर अपने हस्ताक्षर करके थाना प्रभारी इज्जतनगर, बरेली को दियाथा। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज सं0–4क/6 को देखकर व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने यही प्रार्थनापत्र दिनांक 02.12.2024 को थाने पर दिया था, जिसपर मुकदमा लिखा गया था। साक्षी ने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया। घटना के सम्बन्ध में उसका बयान सी0ओ0 ने दिनांक 09.12.2024 को समय दो बजे दिन में कार्यालय में बुलाकर लिया था। उसके बाद सी0ओ0 उसे लेकर उसकी बहन की ससुराल आये और घटनास्थल का निरीक्षण कर उसके सामने नक्शा नजरी बनाया।

14. अभियोजन की ओर से बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–2 एच0सी0 कृष्ण कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह दिनांक 02.12.2024 को थाना इज्जतनगर पर बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा अकबर अपने चचेरा भाई इमरान व मित्र अब्दुल रहीम खां के साथ एक टाइपशुदा तहरीर स्वयं (वादी) के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित थाना उपस्थित आए, जिस पर थाना प्रभारी का लिखित आदेश प्राप्त कर उसके द्वारा कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर ज्योति नागर से तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द अक्षरशः बोल बोलकर टाइप कराकर मु०अ०सं० 884/24 धारा 85,80 बी0एन0एस0 व 3/4 डी०पी०एक्ट सरकार बनाम युसुफ आदि कायम कराया, जिसका खुलासा कायमी जी०डी० 50 दिनांकित 02.12.2024 समय

14.26 में किया गया। कम्प्यूटराइज्ड चिक एफ०आई०आर० कागज सं० 4क/1 लगायत 4क/4 शामिल पत्रावली है, जो दिवसाधिकारी के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित है व थाने की मोहर लगी है और वादी मुकदमा के हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध चिक एफ0आई0आर0 पर दिवशा अधिकारी व वादी के हस्ताक्षर एवं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है एवं कायमी जी0डी0 पर थाने की मोहर व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है।

15. अभियोजन की ओर से बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–3 शब्बीर खां** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसने अपनी बेटी साजिया का निकाह युसुफ के साथ आज से लगभग सवा छः साल पूर्व किया था। उसने अपनी बेटी के निकाह में लगभग पन्द्रह लाख रूपये खर्च किया था जिसमें जेवर व समस्त घरेलू उपयोग का सामान था व मोटर साइकिल के नकद पैसे भी इसी पन्द्रह लाख में शामिल थे। निकाह के कुछ समय बाद से ही उसकी बेटी साजिया का पति युसुफ, सास मुमताज, ससुर शमशाद खां, ननद आयशा, अनम, देवर सराफत अली खां, निजाकत अली खां, सादिक, अली खां, ननदोई नईम हाफिज, मौलाना उसके द्वारा दिए गए दान–दहेज से संतुष्ट नही थे और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और कम दहेज लाने के ताने देते थे और ये सभी लोग अतिरिक्त दहेज में कार व डेढ़ लाख रूपये की मांग करते थे। उसकी बेटी शाजिया जब भी घरवालों से फोन पर बात करती थी। तब भी उनके दहेज मांगने की शिकायत करती थी। वे लोग उसे समझा देते थे। वह बेटी की परेशानी देखकर उसके ससुरालवालों को समझाने दो तीन बार बेटी के ससुराल गया। उस समय मुल्जिमान ने कह दिया कि परेशान नही करेंगे, मगर कार व डेढ़ लाख रूपये की मांग बराबर जारी रखी। उसकी बेटी के सम्बन्ध में उसके बेटे अकबर ने उसे फोन पर बताया कि साजिया को सांस नही आ रही है तब वह व उसके घरवाले उसकी ससुराल पहुंचे तो उसकी लड़की ससुराल में मृत अवस्था में मिली। इसके बाद घटना की रिपोर्ट उसके बेटे अकबर ने की थी। पुलिस ने कार्यवाही कर उसकी बेटी के शव को सील व मोहर किया था और पोस्टमार्टम हाऊस भेजा था। शव का कफन दफन उन लोगों ने किया था। उसकी बेटी की मुल्जिमान ने दहेज के लिए आज से करीब नौ माह पहले हत्या कर दी थी।

16. अभियोजन की ओर से बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 29.11.2024 को उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाऊस में लगी थी। उसी दिन समय 01.20

पी0एम0 पर पुलिस प्रपत्र सहित थाना इज्जत नगर के कॉ० 3089 निखिल और महिला कॉ० चंचल द्वारा मृतक श्रीमती साजिया पत्नी श्री युसुफ अली खां को लाया गया। उसके साथ उसके पैनल में डॉ० विकल्प चौहान और डॉ० अनीता रानी भी थी। पोस्टमार्टम उसी दिन समय 04.15 पी0एम0 पर प्रारंभ किया गया। मृतका की पहचान उसके भांजे निजामुद्दीन व चचेरा भाई इमरान द्वारा की गई। शव पर वस्त्र 1. कुर्ता गुलाबी लाल फूलदार फुल बाजू, 2. सलवार गुलाबी 3. चूड़ी काँच की काली 4. हेयर बैंड गुलाबी मौजूद थे। मृतका के बाह्य परीक्षण में ऊंचाई 151 सेमी0, काठी औसत, शारीरिक बनावट मध्यम थी। मृतका में अकड़न ऊपरी एवं निचली सतह दोनों में मौजूद थी।

17. साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती ने मृतका के शरीर पर निम्न चोट पाए जाने का उल्लेख किया है–

> बाह्य चोटों में गर्दन के चोरों तरफ लिग्लेचर मार्क मौजूद था, जिसका साइज 26 X 2.5 सेमी0 था, जिसमें गर्दन के बांई तरफ 8 सेमी0 का गैप था। लिग्लेचर मार्क चिन (चिन) के 4 सेमी0 नीचे बांए कान के नीचे और 5 सेमी0 नीचे सीधे कान की तरफ मौजूद था। Base of groove is brown and parchment light margin abraded, subcutaneous tissue underneath ligature mark is white, hard and glistering.

18. पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती द्वारा मृतक के शव के आन्तरिक परीक्षण के संदर्भ में कथन किया गया है कि मृतका का मस्तिष्क, फेफड़े, लिवर, स्पलीन व दोनों किडनी बवदहमेजमक थी। सांस नली पदजंबज थी। मृतका के पेट में लगभग 150 सेमी0 पेस्टी फूड मौजूद था।

19. पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती द्वारा मृतका की मृत्यु का संभावित समय लगभग आधा दिन पूर्व तथा मृत्यु का कारण एन्टीमार्टम हैगिंग की वजह से दम घुटने के कारण होना अभिकथित किया गया है।

20. पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मृतका के वस्त्र और प्रपत्र सील करके थाने द्वारा आई हुई महिला कॉ० चंचल को प्राप्त करा दिए गए थे। पोस्टमार्टम समय 05.05 पी0एम0 पर समाप्त किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोलकर टाइप कराई गई थी, जिसे उसके व उसके पैनल द्वारा चैक करने के उपरान्त उसके व उसके पैनल के डॉक्टरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। गवाह ने पत्रावली पर शामिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने व अपने पैनल के डॉक्टरों के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है।

21. अभियोजन की ओर से बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–5 शफीक उर रहमान** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मृतका शाजिया का वह, सगा मौसेरा भाई है। मौसा, मौसी ने शाजिया की शादी गांव वालों व रिश्तेदारों के कहने में आकर घर के बिल्कुल नजदीक ही कर दी थी। दोनों घरों के बीच में मुश्किल से आठ सौ मीटर का ही अंतर होगा। अकबर शाजिया के भाई है, शिकारपुर चौधरी के हैं तथा पास में ही अगला गांव फरीदापुर चौधरी में ही शमशाद के लड़के युसुफ से वर्ष 2019 में दि० 22.04.2019 को निकाह कर दिया था। निकाह में अच्छा खासा पन्द्रह लाख रूपये खर्चा करते हुए बहन शाजिया को जरूरत का सारा घरेलू सामान, जेवरात, 90 हजार नकद रूपये, सुपर स्पलैंडर मोटरसाइकिल के लिए देकर विदा किया था लेकिन क्या पता था कि इतने सब से भी इन दहेज लोभियों की भूख नही मिटेगी। निकाह के कुछ दिन ठीक ठाक रखा और कुछ दिन बाद ही शाजिया के ससुरालवालों ने शाजिया को मारना पीटना शुरू कर दिया तथा कभी–कभी कुछ लाकर देने को कहने लगे थे। शाजिया से सब बातें मिलने पर बताया भी करती थी लेकिन यह कोई नही चाहता है कि बहन बेटी का घर बरबाद हो। शाजिया जब भी मायके आई, मौसा मौसी ने उन्हें कभी खाली हाथ नही भेजा। जरूरत का कोई न कोई सामान उन्हें देते ही रहते थे। मौसी ने घटना के बाद बताया कि कितनी बार कभी पांच हजार रूपये, कभी दस हजार रूपये, कभी पन्द्रह हजार रूपये वह, शाजिया को दे दिया करती थी ताकि सब कुछ सही चलता रहे और बेटी का घर न बिगड़े तथा शाजिया के ऊपर शाजिया के पति युसुफ, सास मुमताज, ससुर शमशाद और ननदें अनम व आयशा तथा देवर शराफत अली खां, नजाकत अली खां, सादिक अली खां तथा अली खां, ननदोई नईम हाफिज ये लोग नहीं माने और शाजिया पर दहेज की मांग में कार लाने के लिए जुर्म करते रहे तथा इन सभी लोगों ने शाजिया के ऊपर मायके से डेढ़ लाख रूपये लेने का दबाव बना रखा था परन्तु मौसा मौसी ने घर ठीक कराया ही था इसलिए इतना बजट नही था कि एकदम कार व डेढ़ लाख रूपये उन्हें भी दे दें। दि० 28.11.2024 को लगभग शाम छः बजे शाजिया की ससुराल फरीदापुर चौधरी के पड़ोस के व्यक्ति ने उसके मौसेरे भाई अकबर को फोन कर सूचना दी थी कि शाजिया की तबियत खराब है तथा कुछ हो गया है। खबर मिलते ही वे मौसा मौसी के साथ फरीदापुर चौधरी शाजिया की ससुराल पहुंचे। कुछ समय बाद उसका मौसेरा भाई अकबर खां भी आ गया था। उन लोगों ने देखा कि घर के बरामदे में शाजिया की लाश रखी थी और जब उन लोगों ने चादर हटाकर देखी तो साजिया के गले पर निशान था तथा वह मृत अवस्था में थी, ससुराल का कोई भी

व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं था, सब फरार थे। उसके बाद रात में ही वह, अपने भाई अकबर के साथ साजिया की लाश को कार में रखकर जिला अस्पताल, बरेली की मोरचरी पहुंचा और लाश को मोरचरी में रखवा दिया। अगले दिन दि० 29.11.2024 को सुबह ग्यारह बजे दिन नायब तहसीलदार सदर, बरेली द्वारा महिला उपनिरीक्षक चंचल से पंचायतनामा की कार्यवाही बोल बोल कर लिखवाकर प्रारंभ की गई और पंचायतनामा की कार्यवाही 12.30 पी0एम0 पर समाप्त की गई। नायब तहसीलदार साहब ने उसे भी पंच गवाह बनाया था। पंचों की राय में मृतका शाजिया की मृत्यु उसके ससुरालजनों द्वारा रस्सी से गला दबाकर की गयी थी। पंचनामा की लिखा पढ़ी करने के बाद पढ़कर सुनाकर उसके उस पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसके बाद लाश को सील मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए मोरचरी मुख्यालय बरेली भेजा था। पत्रावली पर शामिल पंचायतनामा कागज सं0 7क/1 लगायत 7क/2 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। शाजिया के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग शाम पांच बजे के बाद पुलिसवालों ने शव को साक्षी व अन्य साक्षीगण के सुपुर्द कर दिया था जिसका अंतिम संस्कार उन्होंने अपने गांव शिकारपुर चौधरी में आकर किया था।

22. अभियोजन की ओर से बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–6 विदित कुमार, नायब तहसीलदार** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 29.11.2024 को वह तहसील सदर में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात था। उस दिन उसे समय लगभग साढ़े दस बजे एस०डी०एम० सदर बरेली द्वारा मौखिक सूचना के आदेश से जिला अस्पताल बरेली में मृतका श्रीमती साजिया के शव के पंचायतनामा की लिखा पढ़ी उसके द्वारा बोल बोलकर महिला उपनिरीक्षक चंचल से समय करीब सुबह ग्यारह बजे प्रारंभ कराई थी तथा 12.30 पी०एम० पर समाप्त करा दी गई थी। उसके द्वारा पंच गवाह मृतका के परिवारीजन मायके वाले व रिश्तेदार अकबर खां, अब्दुल रहीम खां, दिलशाद खां, शफीक उर्र रहमान तथा नाजिर बेग को नियुक्त किया गया था। पंचो की राय मे मृतका श्रीमती साजिया की मृत्यु उसके ससुरालीजन द्वारा साजिया का रस्सी से गला दबाकर की गई है। उसकी राय में मृतका साजिया की मृत्यु गले में फांसी लगाने के कारण हुई लेकिन मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराना आवश्यक था, इसीलिए मृतका के शव को सफेद कपड़े मे रखकर सील मोहर कर महिला उपनिरीक्षक चंचल, कॉ० 3038 निखिल के सुपुर्द कर वास्ते पी०एम० मोरचरी मुख्यालय बरेली भेजा था और मेडिकल पैनल द्वारा शव का पी०एम० कराने तथा उसकी वीडियोग्राफी

कराने हेतु निवेदन किया गया था। साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा पर उ0नि0 चंचल के लेख व हस्ताक्षर तथा अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए इसे **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया गया है। उसके द्वारा पंचयातनामा के अलावा महिला उपनिरीक्षक से अन्य प्रपत्र भी तैयार करवाए गए थे। साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नमूना मोहर, फोटो लाश, चालान लाश, पुलिस फॉर्म नं० 33, रिपोर्ट सी०एम०ओ० व रिपोर्ट आर०आई० को महिला उपनिरीक्षक चंचल के लेख व हस्ताक्षर में होने एवं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उपरोक्त प्रपत्रों को कमशः **प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–10** के रूप में साबित किया गया है।

23. अभियोजन की ओर से बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक चंचल** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 29.11.2024 को वह थाना इज्जत नगर में बतौर महिला उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थी। उस दिन उसके द्वारा समय करीब ग्यारह बजे सुबह नायब तहसीलदार तहसील सदर जिला बरेली विदित कुमार के बोलने पर मृतका साजिया के पंचायतनामा की लिखा पढ़ी प्रारंभ कर 12.30 पी०एम० समाप्त की गई थी। पंच गवाह मृतका साजिया के मायके वाले व उसके रिश्तेदारों अकबर खां, अब्दुल रहीम खां, दिलशाद खां, शफीक उर रहमान तथा नाजिर बेग नायब साहब ने बनाया था। पंचो की राय में मृतका श्रीमती साजिया की मृत्यु उसके ससुरालीजन द्वारा रस्सी से गला दबाकर की गई थी। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को एक सफेद कपड़े मे रखकर सील मोहर कर वास्ते पी०एम० बरेली मोरचरी मुख्यालय भेजा था। साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया है। इसके अलावा उसके द्वारा तैयार किये गये अन्य प्रपत्र नमूना मोहर, फोटो लाश, चालान लाश, पुलिस फॉर्म नं० 33, रिपोर्ट सी०एम०ओ० व रिपोर्ट आर०आई० को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने एवं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उपरोक्त प्रपत्रों को कमशः **प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–10** के रूप में साबित किया गया है।

24. अभियोजन की ओर से बतौर **साक्षी पी0डब्लू0–8 देवेन्द्र कुमार, एस0पी0 सिटी, शाहजहॉपुर** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दि० 02.12.2024 को वह पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय जनपद बरेली के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 884/24 धारा 85/80 (2) BNS व 3/4 DP Act सरकार बनाम युसुफ आदि की विवेचना ग्रहण की। दिनांक 02.12.2024 को

उसके द्वारा नकल प्राथमिकी, नकल रपट का विवरण सी०डी० में अंकित किया तथा प्राथमिकी लेकर मुख्य आरक्षी 629 का बयान अंकित किया। दिनांकित 09.12.2024 को बयान वादी अकबर और उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया जो पत्रावली पर कागज सं० 6क/1 शामिल है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। साक्षी ने नक्शा नजरी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांकित 16.12.2024 को अवलोकन पंचायतनामा, अवलोकन पी०एम० रिपोर्ट, कर उसका विवरण सी०डी० में अंकित किया। दिनांक 26.12.2024 को मृतका के पिता शब्बीर खां, मां मृतका श्रीमती अफसरी, बहन मृतका नसरत का बयान सी०डी० में अंकित किया। दिनांक 05.01.2025 को गिरफ्तारी अभियुक्त युसुफ के दाखिले के नकल रपट का विवरण सी०डी० मे अंकित किया। उसके बाद अभियुक्त युसुफ के बयान सी०डी० में अंकित किए। दिनांक 10.01.2025 को पंचायतनामा साक्षी अकबर, बहन मृतका इसरत, तहेरा भाई मृतक इमरान उर्फ शेरा, खलेरा भाई मृतक शफीक उर्र रहमान के बयान सी०डी० में अंकित किए। दिनांक 18.01.2025 को पंचायतनामा साक्षीगण अब्दुल रहीम खां, दिलशाद खां, नाजिर बेग के बयान सी०डी० मे अंकित किए। दिनांकित 29.01.2025 को गिरफ्तारी अभियुक्तगण दबिश दी गई। अभियुक्तगण नहीं मिल सके। दिनांक 11.02.2025 को अभियुक्तगण शमशाद अली व मुमताज बानो गिरफ्तार दाखिला नकल रपट का विवरण सी०डी० मे अंकित किया। उसके बाद शमशाद अली खां, श्रीमती मुम्तयाज बानो तथा गिरफ्तार करने वाले एस०आई० दीपक नागर के बयान सी०डी० में अंकित किए। दिनांक 22.02.2025 को पी०एम० करने वाले डॉ० कौशल भारती, डॉ० विकल्प चौहान, डॉ० अनीता रानी के बयान सी०डी० मे अंकित किए। दिनांक 28.02.2025 को मृतका के शव का पंचायतनामा भरने वाले नायब तहसीलदार सदर बरेली श्री विदित कुमार के बयान अंकित किए। दिनांक 04.03.2025 को अभियुक्त शराफत गिरफ्तार दाखिल नकल रपट का विवरण तथा अभियुक्त शराफत का बयान अंकित किया, गिरफ्तारी करने वाले एस०आई० इसरार अली का बयान अंकित किया। दिनांक 05.03.2025 को पंचायतनामा लेखक एस०आई० चंचल चौधरी, पी०एम० करने वाले कॉ० 3028 निखिल मलिक का बयान अंकित किया। दिनांक 07.03.2025 को स्वतंत्र गवाह साजिद अली, शहनाज, रेहान रजा खां, फरीन खानम के बयान अंकित किए। दिनांक 10.03.2025 को स्वतंत्र गवाह जाकिर अली खां, नाजमा बी, जमीलुद्दीन, इरफान रजा खां के बयान अंकित किए। दिनांक 11.03.2025 को स्वतंत्र गवाह असलम, इरशाद खां, ग्राम प्रधान शादाब के बयान अंकित किए। अभियुक्तगण आयशा अनम, निजाकत अली खां, सादिक, नईमुद्दीन,

हाफिज जी मौलाना, उसमान अली खां की घटना में संलिप्तता के साक्ष्य न पाए जाने पर गलत नामजदगी करते हुए उनके नाम विवेचना से पृथक किए गए। दिनांक 12.03.2025 को नामित अभियुक्तगण मोहम्मद नईमुद्दीन, श्रीमती आयशा के बयान अंकित किए तथा मोहम्मद नईमुद्दीन खां का ग्राम घुसा की अजहरी मस्जिद मे इमाम होने का प्रमाण पत्र विवरण अंकित किया। मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो की पेन ड्राइव को कब्जे में लेकर लिफाफा बंद किया। पत्रावली पर सील मोहर सफेद कपड़ों में फील्ड यूनिट द्वारा की गयी वीडियोग्राफी तथा लिए गए फोटो की सी०डी० पत्रावली पर शामिल है। सफेद सील मोहर कपड़े पर मुकदमे से संबंधित काली मोटी स्याही से इबारत लिखी हुई है जो पत्रावली पर कागज सं० 21क/1 लगायत 21क/2 शामिल है, सील मोहर सफेद कपड़ों पर **वस्तु प्रदर्श 1 व 2** डाला गया। न्यायालय की अनुमति से सील मोहर कपड़ों को खोला गया जिनके अन्दर से एक एक सी०डी० निकली जिन पर **वस्तु प्रदर्श 3 व 4** डाला गया। पत्रावली पर शामिल दो पीले लिफाफे जो कागज सं० 20क/1 लगायत 20क/2 शामिल है जिन पर मौलाना मोहम्मद नईमुदीन खां का नाम लिखा हुआ है। लिफाफों पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श 5 व वस्तु प्रदर्श 6** डाला गया। लिफाफों को खेला गया जिनके अन्दर से दो पेन ड्राइव निकले जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 7 व 8 डाला गया। दिनांक 13.03.2025 को नामित अभियुक्तगण निजाकत अली खां, सादिक अली खां, उसमान अली खां, कमरूल निशा उर्फ अनम का बयान अंकित किया था। पेन ड्राइव के डाटा का अवलोकन किया गया। दिनांक 17.03.2025 को शादी के कार्ड का अवलोकन किया गया। निजाकत अली खां के मोबाइल नम्बर 8449189462 की लोकेशन दि० 01.09.2024 से 29.12.2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र पायी गयी। फील्ड यूनिट द्वारा की गयी कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटो व सी०डी०आर० का विवरण सी०डी० मे अंकित किया गया। मुकदमा उपरोक्त की संपूर्ण की गयी विवेचना से संकलित साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण सादिक अली खां (देवर), निजाकत अली खां (देवर), उस्मान खां (देवर), कमरूल निशा उर्फ अनम (ननद), आयशा (ननद), नईमुद्दीन खां (ननदोई) की नामजदगी गलत पाते हुए उनके नाम विवेचना से पृथक किए गए। अन्य संपूर्ण साक्ष्य पर प्रयाप्त आधार पाते हुए अभियुक्तगण युसुफ (पति), शमशाद खां (ससुर), मुम्तयाज बानो (सास), शराफत अली खां (देवर), निवासीगण ग्राम फरीदापुर चौधरी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 85, 80(2) BNS व 3/4 डी0पी0 एक्ट में आरोप पत्र सं० 117/25 दिनांकित 17.03.2025 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर शामिल आरोप पत्र कागज सं० 5क/1 लगायत 5क/12 जिसे मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर

बोलकर टाइप करवाया गया था और उसका सही मिलान करने के उपरांत उसका फाइनल प्रिंट निकलवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने आरोप पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क 12** डाला गया।

(IV) धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण का बयान :–

25. अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14.01.2026 को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन साक्षीगण द्वारा किये गये कथनों को झूठा और गलत अभिकथित करते हुए वादी द्वारा झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के कारण मुकदमा चलने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण ने अतिरिक्त कथन किया है कि मृतका ने स्वयं आत्महत्या अपने परिवारवालों की उपेक्षा के कारण की थी। दहेज वाली कोई बात कभी नहीं हुई। वे निर्दोष हैं।

(V) बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य :–

26. बचावपक्ष की ओर से बतौर **साक्षी डी0डब्लू0–1 नासिर अली खान** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह मुल्जिमान युसुफ, शराफत अली खां, शमशाद खां व मुम्त्याज बानो को भली भांति पहचानता व जानता है। यह उसके गांव के हैं, पड़ोसी हैं। वह युसुफ की पत्नी शाजिया को अच्छी तरह जानता था। वह युसुफ व शाजिया के निकाह में शामिल हुआ था। इनकी शादी को करीब 05–06 साल हो गये हैं। इनके दो बच्चे हैं। युसुफ व शाजिया में या उनके परिवार वालों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसका युसुफ के घर उठना बैठना नहीं है। फिर कहा कि उठना बैठना है। प्रोग्राम में आना जाना भी है। उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुना कि युसुफ व उसके परिवार वालों ने शाजिया को दहेज के लिए कभी परेशान किया हो या मारपीट की हो। जब शाजिया की मृत्यु हुई थी तब वह शाजिया व युसुफ के घर गया था। शाजिया मरने से एक दो दिन पहले अपने घर से आयी थी। शाजिया ने फांसी लगा ली थी, यही उसने सुना है। जिस समय शाजिया ने फांसी लगायी थी उस समय युसुफ दिल्ली में था। शाजिया ने फांसी क्यों लगायी उसे नहीं मालूम। बाद में पता लगा था कि शाजिया फांसी लगाने से पहले अपने मायके से लड़कर आयी थी।

27. बचावपक्ष की ओर से बतौर **साक्षी डी0डब्लू0–2 शवरूल निशा** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह मुल्जिमान युसुफ, शराफत, शमशाद, मुम्त्याज बानो को भली भांति जानती है। यह उसके गांव के ही हैं।

इनके पड़ोस में ही उसका घर हे। यह सभी लोग सीधे साधे भले व्यक्ति हैं। सभी लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। मुम्त्याज बानो कुछ नहीं करती है, ग्रहणी है। यदि इनके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी दावत होती है, उठना बैठनना है उसका उनके (मुल्जिमान) के घर पर रोज का आना जाना है। युसुफ और शाजिया के निकाह को काफी साल हो गये हैं। वह पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वह गिनती नहीं बता सकती है। वह शाजिया व युसुफ के निकाह में शामिल हुई थी। युसुफ व शाजिया के दो बच्चे हैं। वह दोनों बच्चों के पैदाइश के प्रोग्राम में शामिल हुई थी। शाजिया युसुफ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इन लोगों ने शाजिया से व उसके परिवार वालों से युसुफ व युसुफ के परिवार वालों ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही दहेज की मांग को लेकर न ही प्रताड़ित किया और न ही मारपीट कभी की। शाजिया का अपनी ससुराल में अपने सास, ससुर व देवर आदि से खाना पीना अलग था। घटना से दो चार दिन पहले शाजिया अपने मायके से ससुराल आयी थी। यह अपने मायके चार छः दिन रूकी थी। एक सप्ताह नहीं रूकी थी। जब शाजिया अपनी मायके से आयी थी तब वह उससे मिलने उसके ससुराल में गयी थी। शाजिया ने बताया था कि उसकी भाभी से मायके में लड़ाई हो गयी थी इसलिए वह वहां से चली गयी। जब वह शाजिया से मिलने घर पर गयी थी तब युसुफ दिल्ली में था। जब शाजिया खत्म हुई तब भी वह (यूसुफ) दिल्ली में था। शाजिया ने आत्महत्या कर ली थी। वह उसके मौते में शामिल हुई थी। मुल्जिमान बहुत सीधे लोग हैं। छिपकली भी नहीं मार सकते तो शाजिया को क्या मारेंगे।

28. बचावपक्ष की ओर से बतौर **साक्षी डी0डब्लू0–3 मोहम्मद आरिफ** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह मुल्जिमान मुमत्याज, युसुफ, शमशाद, शराफत को भलीभांति जानता हूं। युसुफ की ससुराल उसके पड़ोस में है इसलिए वह युसुफ को जानता है। ये सीधे साधे भले लोग हैं, हाजी शमशाद अली परहेजगार हैं। युसुफ की ससरुाल में उसका आना जाना नहीं है। वह युसुफ की ससुराल शादी ब्याह में जाता है। युसुफ की शादी लगभग छः ससाढ़े छः साल पहले हुई थी। युसुफ जब भी अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेकर आता था तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। युसुफ की पत्नी का शलहज से झगड़ा होता था, युसुफ की पत्नी का युसुफ से झगड़ा नहीं होता था। घटना सन् 2024 की है, उसे तारीख व महीना याद नहीं है। सन् 2024 में उसने यह सुना था कि साजिया ने फांसी लगा ली है। मृतका साजिया मायके से दो या तीन दिन पहले ससुराल आई थी, फिर कहा कि मृतका अपने मायके से एक या दो

दिन पहले गयी थी। उसने साजिया को स्वयं जाते हुए देखा था क्योंकि वह उस रास्ते से जा रहा था। साजिया और उसकी भाभी में झगड़ा हो रहा था। वहां वह और भी मोहल्ले के लोग खड़े हुए थे। साजिया झगड़े के बाद अपनी ससुराल चली गयी थी। शायद अपनी बहन के साथ ससुराल गई थी। उसने दो दिन बाद सुना कि साजिया ने अपनी ससुराल में फांसी लगा ली है।

29. उपरोक्तानुसार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभिलिखित करने के उपरान्त उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

(VI) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क :–

30. अभियोजन की ओर से **श्री रीतराज राजपूत, प्रभारी, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य व परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित है कि मृतका की मृत्यु विवाह से सात वर्ष के अंदर अस्वाभाविक रूप से अपनी ससुराल में हुई। साक्षीगण ने मृतका से अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग किये जाने और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के तथ्य को भी संदेह से परे साबित किया है। साक्षी पी0डब्लू0–1 अकबर खान, वादी व मृतका का भाई है, साक्षी पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान, मृतजका के पिता हैं व साक्षी पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान मृतका के मौसरे भाई हैं। साक्षीगण ने मृतका की ससुराल जाकर भी अभियुक्तगण को समझाने की साक्ष्य दी है और उक्त साक्ष्य के संदर्भ में बचाव पक्ष द्वारा न तो कोई जिरह की गयी है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो उक्त तथ्यों को अविश्वसनीय बनाता हो। चिकित्सकीय साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती ने मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व गर्दन से लटकने के कारण दम घुटने से होना साबित किया है। अभियोजन साक्षीगण ने उक्त घटनास्थल अभियुक्तगण का घर भी संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परीक्षित साक्षी डी0डब्लू0–1 नासिर अली खान, साक्षी डी0डब्लू0–2 शबरूल निशा और डी0डब्लू0–3 मो0 आरिफ ने यह अवश्य कथन किया है कि उनके सामने या उनकी मौजूदगी में मृतका से दहेज की मांग या उसे प्रताड़ित नहीं किया गया है लेकिन दहेज की मांग व प्रताड़ना का कृत्य घर की चार–दीवारी के अंदर पीड़िता के पति व उसके माता–पिता, भाई–बहन द्वारा गुप्त तरीके से किया जाता है, पड़ोसी या रिश्तेदारों के सामने किया जाना आवश्यक नहीं

है। इसके अलावा साक्षीगण ने मृतका का अपनी भाभी से झगड़ा होने और उसके परिणामस्वरूप आत्महत्या के तथ्य को लाने का प्रयास किया गया है लेकिन दौरान साक्ष्य ऐसी परिस्थितियां उभरकर नहीं आती हैं जो उक्त आधार को संभावना की प्राययिक्ता तक भी साबित करती हों। इस प्रकार अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

(VII) बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क :–

31. बचावपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता **श्रीमती तरन्नुम जहां** द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में चार दिन का विलंब कारित किया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट सलाह मशविरा के बाद दर्ज करायी गयी है। साक्षीगण ने विवेचक को दिये गये बयान में यह स्पष्ट कथन किया है कि विवाह के बाद शरूआत में सब कुछ ठीक–ठाक था। दौरान विवेचना अभियोजन द्वारा लिये दिये गये सामान की कोई सूची निकाहनामा, विदाई आदि के फोटो नहीं दिये गये हैं और न ही दौरान साक्ष्य साबित किये गये हैं। साक्षीगण ने घटना से पहले भी प्रताड़ना किये जाने का आरोप लगाया है लेकिन वर्तमान वाद से पहले कभी किसी भी सक्षम प्राधिकारी को शिकायत करने का न तो कथन किया गया है और न ही ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। दौरान विवेचना साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि मृतका 3–4 दिन पहले अपने मायके आयी थी और वहां रूकी थी। मायके में ही घटित घटनाक्रम से आवेश में आकर मृतका ने आत्महत्या की है। अभियोजन साक्ष्य तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से मृतका द्वारा आत्महत्या करना ही साबित है। घटना के संदर्भ में स्वतंत्र साक्ष्य देने वाले साक्षियों को परीक्षित नहीं किया गया है बल्कि साक्ष्य को छिपाया गया है। परीक्षित साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि शादी के समय दहेज नहीं मांगा गया था। उपरोक्त परिस्थितियां सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदेह की परिधि में लाती हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(VIII) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रति–उत्तर तर्क :–

32. अभियोजन की तरफ से प्रति–उत्तर तर्क में यह कथन किया गया है कि धारा 161 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दौरान विवेचना दर्ज बयान का संज्ञान विचारण समाप्ति के पश्चात् तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक साक्षीगण के समक्ष उक्त बयान को प्रस्तुत कर उसके संदर्भ में उनसे जिरह न की जाये। वर्तमान मामले में बचाव पक्ष द्वारा साक्षीगण के धारा

161 दं0प्र0सं0 के बयान के संदर्भ में कोई जिरह नहीं की गयी है। अभियोजन की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर विचार किया जाता है, साक्षियों की संख्या पर नहीं। इसलिए यदि अन्य साक्षियों को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है तो उसे साक्ष्य छिपाने की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अभियोजन का यह भी तर्क है कि निकट रिश्तेदारों की साक्ष्य मात्र रिश्तेदार होने के आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती और उसके साक्ष्य विशेषकर तब निर्भर किये जाने योग्य है जब उस साक्ष्य पर संदेह करने की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। घटना से पहले दहेज की मांग या प्रताड़ना सम्बन्धी शिकायत इसलिए नहीं की गयी कि परिवार वाले अभियुक्तगण को उक्त के संदर्भ में समझाने गये थे और मृतका के बेहतर भविष्य के लिए उनके द्वारा सुलह–समझौते के आधार पर ही विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया। बचाव पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्यों के माध्यम से जो कथानक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है उसके संदर्भ में अभियोजन साक्षियों से कोई पूछताछ भी नहीं की गयी जो यह दर्शाता है कि अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् एक काल्पनिक कथानक गढ़ा गया जिसमें मृतका को क्रोधी स्वभाव का होना व बीमार होने का कथानक लिया गया और उसी उद्देश्य से मृतका की भाभी से झगड़े की बात भी साबित करने का प्रयास किया गया लेकिन बचाव पक्ष प्रथमदृष्टया यह साबित करने में असफल है कि मृतका और उसकी भाभी के मध्य तथाकथित रूप से हुए झगड़े की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मृतका अपनी ससुराल में आकर आत्महत्या करती। यदि उस झगड़े ने मृतका को उत्प्रेरित किया होता तो मृतका अपनी ससुराल में न आकर बल्कि अपने मायके में ही आत्महत्या कर लेती। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा बचाव में असत्य व काल्पनिक कथानक प्रस्तुत कर अभियोजन को ही मजबूती प्रदान की गयी है। इस प्रकार अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

33. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया।

<u>(IX) आरोपित अपराध का निर्वचन :–</u>

34. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 व अनुकल्पित आरोप 103 बी0एन0एस0 व 3 डी0पी0 एक्ट का आरोप विरचित किया गया है।

35. धारा 85 बी0एन0एस0 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्धि हेतु अभियोजन द्वारा सन्देह से परे यह साबित करना है कि मृतक के पति और पति के नातेदार द्वारा मृतका के साथ

क्रूरता की गयी।

36. **<u>धारा 80(2) बी0एन0एस0</u>** के अपराध के अन्तर्गत आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति से कारित हुई हो अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु विवाह से सात वर्ष के अन्दर कारित हुई हो। इसके अलावा यह भी अभियोजन द्वारा साबित किया जाना है कि मृत्यु से कुछ पूर्व मृतका के पति या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की मॉग के लिए उसके साथ क्रूरता कारित की।

37. **<u>धारा 103 बी0एन0एस0</u>** के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा मृतक की हत्या अभियुक्त द्वारा किया जाना सन्देह से परे साबित होना चाहिए और **हत्या को धारा 101 बी0एन0एस0** के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार– "अपवादित दशाओं को छोड़कर यदि कोई कृत्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है तो वह मानव बध हत्या है। इसके अलावा यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिसे अपराधी जानता हो कि उससे मृत्यु संभाव्य है और उसको वह अपहानि कारित की गयी है तो ऐसा कृत्य हत्या की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यदि ऐसा कोई कार्य किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जो शारीरिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो भी वह हत्या की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह कृत्य मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो भी वह हत्या की श्रेणी में आता है।"

38. **धारा 3 डी0पी0 एक्ट** के अन्तर्गत अभियोजन द्वारा यह तथ्य सन्देह से परे साबित करना है कि अभियुक्त ने अपने विवाह में दहेज अर्थात् पत्नी या पत्नी के परिवार के सदस्यों से विवाह या उससे पूर्व विवाह के प्रतिफल के रूप में सम्पत्ति, प्राप्त किया है।

39. **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अपराध के लिए अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्त द्वारा दूल्हन के माता–पिता व उसके अन्य रिस्तेदारों या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मॉग की गयी।

(X) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथानक का साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन :–

40. अभियोजन द्वारा वर्तमान वाद मुख्यतः इस अभियोजन कथानक के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मृतका का विवाह दिनांक 22.04.2019 को अभियुक्त युसुफ के साथ होने के पश्चात् अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी और उसे प्रताड़ित किया जाता था और दिनांक 28.11.2024 को उक्त प्रताड़ना के कारण ही मृतका की मृत्यु ससुराल में ही असामान्य परिस्थितियों में कारित हुई।

41. उक्त कथानक को साबित करने हेतु कथानक के समर्थन में निम्न तथ्य संदेह से परे साबित किये जाने का भार अभियोजन पर है–

- **(a)** घटनास्थल
- **(b)** मृतका की मृत्यु का कारण
- **(c)** मृतका के निकाह की तिथि
- **(d)** घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में कारित विलंब
- **(e)** दहेज की मांग व उससे सम्बन्धित प्रताड़ना
- **(f)** बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक कथानक की विवेचना
- **(g)** घटना घटने से ठीक पूर्व मृतका के साथ प्रताड़ना
- **(h)** घटनास्थल पर अभियुक्तगण का उपस्थित न होना
- **(i)** अभियुक्त युसुफ के अन्यत्र उपस्थित रहने के अभिवाक् की विवेचना
- **(j)** अभियुक्तगण की भूमिका की विवेचना

(a) घटनास्थलः–

42. अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 28.11.2024 की है और मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल अर्थात् अभियुक्तगण के निवास पर हुई। घटना की सूचना वादी को जरिये फोन प्राप्त हुई और वादी ने जरिये फोन घटना की सूचना अपने पिता को दी। यह सूचना पाकर वादी के पिता (पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान) तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद वादी भी घटनास्थल पर पहुंचा और साक्षीगण ने घटनास्थल पर मृतका का शव बरामदे में चारपाई पर रखा देखा। साक्षी पी0डब्लू0–1 अकबर खान, पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान व पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान ने अपनी साक्ष्य में उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है।

43. उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान के अंतर्गत दिनांक 28.11.2024 को वादी को हल्द्वानी जीशान द्वारा फोन करके मृतका को कुछ हो

जाने की सूचना देने, वादी द्वारा अपने घर वालों को सूचना देने, अभियुक्तगण द्वारा मृतका की कोई जानकारी न देने, साक्षीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को बरामदे में चारपाई पर पड़े होने के तथ्यों के संदर्भ में **''कुछ नहीं कहना है''** का जवाब दिया गया है जो यह दर्शाता है कि उपरोक्त तथ्यों को अभियुक्तगण द्वारा भी कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

44. अभियोजन के अनुसार दिनांक 28.11.2024 को मृत्यु की खबर मिलने के पश्चात् जब साक्षीगण पी0डब्लू0–1 अकबर खान, पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान व पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान मौके पर पहुंचे तो उसके बाद मृतका के शव का पंचनामा हुआ। साक्षी पी0डब्लू0–1 अकबर खान व साक्षी पी0डब्लू0–5 शब्बीर खान ने अपनी साक्ष्य में पंचनामा की कार्यवाही की साक्ष्य देते हुए स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पंचनामें की लिखा–पढ़ी करने के बाद उसे पढ़कर उन्हें सुनाया गया और उनके हस्ताक्षर बनवाये गये और शव को सील मोहर कर परीक्षण हेतु पुलिस वालों के सुपुर्द किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियुक्तगण द्वारा **''कुछ नहीं कहना है''** का जवाब दिया गया है।

45. पंचनामें की कार्यवाही को साक्षी पी0डब्लू0–6 नायब तहसीलदार विदित कुमार व पी0डब्लू0–7 उ0नि0 चंचल द्वारा साबित किया गया। पंचनामा के समय तैयार प्रपत्र नमूना मोहर, फोटो लाश, चालान लाश, पुलिस फॉर्म, रिपोर्ट सी0एम0ओ0, रिपोर्ट आर0आई0 को क्रमशः प्रदर्श क–5 लगायत प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू0–6 नायब तहसीलदार विदित कुमार व पी0डब्लू0–7 उ0नि0 चंचल द्वारा अभिकथित तथ्यों के संदर्भ में अभियुक्तगण से धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रश्न सं0–59 लगायत 68 के मध्य प्रश्न किये गये जिसमें साक्षी विदित कुमार का नायब तहसीलदार के पद पर दिनांक 29.11.2024 पर नियुक्त रहना, 10.30 बजे पंचायतनामा के लिए उप जिलाधिकारी से मौखिक आदेश प्राप्त होना, प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे के मध्य पंचनायतनामें की कार्यवाही होना, कार्यवाही के दौरान अकबर खान, अब्दुल खान, रहीम खान, दिलशाद खान, शफीक–उर–रहमान व नासिर बेग को पंच नियुक्त करना आदि तथ्य शामिल हैं और इन सभी तथ्यों के संदर्भ में अभियुक्तगण द्वारा **''कुछ नहीं कहना है''** का जवाब दिया गया।

46. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि मृतका के पंचनामें की कार्यवाही दिनांक

29.11.2024 को प्रातः 11.00 बजे प्रारम्भ हुई और अपरान्ह 12.30 बजे समाप्त हुई और यह कार्यवाही अभियुक्तगण के निवास स्थित ग्राम फरीदापुर चौधरी, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली में ही सम्पन्न हुई।

47. *इस प्रकार वर्तमान मामले में यह तथ्य संदेह से परे साबित होता है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 28.11.2024 को अभियुक्तगण के निवास स्थान, स्थित ग्राम फरीदापुर चौधरी, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली में हुई।*

(b) मृतका की मृत्यु का कारण :–

48. अभियोजन कथानक के अनुसार मृतका की मृत्यु गले से लटकने के कारण दम घुटने की वजह से हुई। साक्षीगण पी0डब्लू0–1, 2 व 3 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मृतका के शव को चारपाई पर पड़े देखा तो उस समय उसके गले में निशान पड़ा था।

49. पंचनामें की कार्यवाही के दौरान नियुक्त पंचान अकबर खान, अब्दुल रहीम खान, दिलशाद खान, शफीक–उर–रहमान तथा नाजिर बेग की राय में मृतका की मृत्यु उसके ससुरालीजन द्वारा रस्सी से गला दबाकर की गयी। इस राय से अभियुक्तगण ने इंकार किया है। विचारणीय है कि साक्षी पी0डब्लू0–6 नायब तहसीलदार विदित कुमार द्वारा अपनी राय में यह व्यक्त किया गया है कि शाजिया की मृत्यु गले में फांसी लगाने के कारण हुई लेकिन सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत पूछे गये प्रश्न के जवाब में अभियुक्तगण ने **"कुछ नहीं कहना है"** अभिकथित किया है।

50. शव का शव परीक्षण साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पोस्टमार्टम हाउस में ड्यूटी के दौरान समय 01.20 बजे शव प्राप्त होने के बाद किये जाने की साक्ष्य दी गयी है। मृतका की पहचान निजामुद्दीन पुत्र अखलाकुद्दीन व इमरान पुत्र सलीम द्वारा किये जाने, शव परीक्षण उनके व डॉ0 विकल चौहान व डॉ0 अनीता रानी के पैनल द्वारा दिनांक 29.11.2024 को किये जाने के तथ्य अभिकथित किये हैं। इसके अलावा मृतका की गर्दन पर चारों तरफ लाईगेचर मार्क, जिसमें 8 सेमी रिक्त स्थान था, पाये जाने का उल्लेख किया है और साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि मृतका की मृत्यु शव परीक्षण से लगभग आधा दिन पूर्व और मृत्यु पूर्व गले से लटकने के कारण दम घुटने के कारण हुई। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान

में अभियुक्तगण द्वारा **"कुछ नहीं कहना है"** का जवाब दिया गया है बल्कि यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मृतका ने स्वयं फांसी लगायी।

51. साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 कौशल भारती से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिसमें उसने यह कथन किया है कि मृतका के शरीर पर गले का निशान छोड़कर अन्य कोई चोट का निशान नहीं था। दौरान जिरह भी साक्षी ने मुख्य परीक्षा में अभिकथित मृत्यु के कारण की ही तस्दीक की है और यह स्पष्ट किया है कि हाथ द्वारा गला दबाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाये तो जिस प्रकार चोट मृतका के शव पर पायी गयी है वह नहीं आ सकती।

52. *उपरोक्त परिस्थितियों के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित होता है कि मृतका की मृत्यु शव परीक्षण से लगभग आधा दिन पूर्व गर्दन से लटकने के कारण घटित होना संदेह से परे साबित है।*

(c) मृतका के निकाह की तिथि :–

53. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतका का निकाह अभियुक्त युसुफ के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 22.04.2019 को संपन्न हुआ था। पी0डब्लू0–1 अकबर खान, पी0डब्लू0–3 शब्बीर खां व पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान ने निकाह की तिथि 22.04.2019 ही अपने साक्ष्य में अभिकथित की है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षीगण से निकाह की तिथि के संबंध में कोई जिरह नहीं की गयी। केवल निकाहनामा की मौजूदगी के संदर्भ में ही प्रश्न पूछे गये हैं जिसके सम्बन्ध में साक्षीगण ने निकाहनामा उनके पास उपलब्ध न होने का कथन किया है। इस तथ्य के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि मृतका और युसुफ का निकाह दिनांक 22.04.2019 को सम्पन्न होने का तथ्य संदेहास्पद है, विशेषकर तब जब अभियुक्तगण ने बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा डी0डब्लू0–1 नासिर अली खां, डी0डब्लू0–2 शबरूल निशा तथा डी0डब्लू0–3 मो0 आरिफ ने मृतका और युसुफ के पति पत्नी होने के तथ्य को स्वीकार किया हो।

54. *उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष अभिनिर्धारित होता है कि मृतका और युसुफ का निकाह 22.04.2019 को सम्पन्न होना संदेह से परे साबित है।*

55. इस स्तर पर यह उल्लिखित करना भी उचित होगा कि अभियोजन मृतका के निकाह के सात वर्ष के अंदर ससुराल में अस्वाभाविक अर्थात् सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु

के तथ्यों को संदेह से परे साबित करने में सफल है।

(d) घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में कारित विलंब :–

56. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 को 14.26 बजे थाना इज्जतनगर, जिला बरेली में दर्ज हुई थी। उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 28.11.2024 की है। दिनांक 29.11.2024 को मृतका के शव का पंचनामा और शव परीक्षण दोनों ही कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थीं। साक्षीगण के अनुसार घटना की सूचना उन्हें दिनांक 28.11.2024 को शाम 06.00 बजे प्राप्त हुई। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की जानकारी होने के 03 दिन, 12 घंटा, 26 मिनट बाद दर्ज हुई।

57. तहरीर टाईपशुदा है और उक्त तहरीर विलंब से दिये जाने का कोई स्पष्टीकरण तहरीर में नहीं है। वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि पोस्टमार्टम व शव परीक्षण की कार्यवाही के उपरांत वे लोग अपनी बहन के शव को लाकर उसका अंतिम संस्कार अपने घर पर किया। अंतिम संस्कार के बाद उसने एक प्रार्थना पत्र कम्प्यूटर वाले से कचहरी पर टाईप कराकर उस पर अपने हस्ताक्षर करके थानाप्रभारी, इज्जतनगर, बरेली को दिया था। इस प्रकार दौरान साक्ष्य साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में कारित विलंब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

58. साक्षी पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान व पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान ने भी शव परीक्षण के बाद शव प्राप्त होने और उनके द्वारा अंतिम संस्कार किये जाने के कथन अभिकथित किये हैं। उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू0–1 अकबर खान से विस्तृत जिरह की गयी जिसके दौरान झूठा मुकदमा लिखवाये जाने का सुझाव दिया गया लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाये जाने के संदर्भ में न तो कोई जिरह की गयी और न ही कोई सुझाव दिया गया।

59. बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संदर्भ में अभियुक्तगण द्वारा फर्जी घटनाक्रम बनाकर राय मशविरे से झूठा मुकदमा दर्ज कराये जाने का उल्लेख किया है। यहां पर यह विचारणीय है कि थाने पर दिनांक 02.12.2024 को समय 14.26 बजे मुकदमा दर्ज होने और उसका खुलासा जी0डी0 में करने के संदर्भ में अभियुक्तगण द्वारा **''कुछ नहीं कहना है''** का जवाब दिया गया है।

60. उपरोक्त प्रकार से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष अभिनिर्धारित होता है कि मृतका की मृत्यु के 03 दिन 12 घंटा 26 मिनट बाद और उसके

दाह संस्कार के लगभग दो दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया सलाह मशविरा करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के उपलब्ध अवसर से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बचाव पक्ष द्वारा इस संदर्भ में विशेष जिरह नहीं की गयी है, मात्र झूठा मुकदमा दर्ज कराये जाने का कथन करते हुए उक्त के संदर्भ में दौरान जिरह सुझाव दिये गये हैं।

61. राजकुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, (2010) 15 एस0सी0सी0 362 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि दहेज हत्या जैसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलंब से दर्ज कराना अभियोजन के लिए घातक नहीं हो सकता है। यह विचार में रखना चाहिए कि वैवाहिक विवाद से जनित मामले सदैव अति संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों में पीड़ित के परिवार के सदस्यों के मध्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संदर्भ में सोच विचार और विचार विमर्श किया जाता है।

62. ''राजकुमार'' (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती फुलउ उर्फ फूलावती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 ए0आई0आर0 ऑन लाइन 422, इलाहाबाद** के मामले में दहेज हत्या के वाद में विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बिन्दु पर यह मत व्यक्त किया है कि यदि प्रति परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न या सुझाव साक्षीगण के सामने नहीं रखा गया है जिससे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के किसी अन्य दिन या समय पर दर्ज होने की अवधारणा की जा सके तो इस परिस्थिति पर विलंब के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष अभिनिर्धारित करते समय विचार किया जा सकता है।

63. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अशोक कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य, 2008 (61) ए0सी0सी0 972 एस0सी0** तथा **रवीन्द्र महतो बनाम झारखण्ड राज्य, 2006 (54) ए0सी0सी0 543 एस0सी0** के मामलों में यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियोजन कथानक को रचने के प्रयास का कारण विलंब नहीं है तो उक्त विलंब अभियोजन के लिए हानिकारक नहीं होता।

64. वर्तमान मामले में यह विचारणीय है कि 28.11.2024 को सूचना पाकर साक्षीगण अविलंब घटनास्थल मृतक की ससुराल पहुंचे और पंचनामा के अनुसार मृतका की मृत्यु की सूचना थाने पर 29.11.2024 को प्रातः 02.05 बजे प्राप्त हुई और पंचनामा की कार्यवाही उसी दिन प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 11.30 बजे तक की गयी। इस कार्यवाही में साक्षी

पी0डब्लू0–6 नायब तहसीलदार विदित कुमार द्वारा पंच नियुक्त किये गये। उक्त नियुक्त पंच में वादी पी0डब्लू0–1 अकबर खान पुत्र शब्बीर खान भी शामिल था और पंचनामा में यह स्पष्ट रूप से पंचों द्वारा अपनी राय दर्ज करायी गयी कि श्रीमती शाजिया की मृत्यु उसके ससुरालीजनों द्वारा शाजिया का गला रस्सी से दबाकर की गयी है।

65. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष बिना किसी विचार विमर्श के ही वादी ने अभियुक्तगण के कृत्यों के संदर्भ में मत व्यक्त कर दिया था। इस प्रकार वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कारित विलंब को अभियोजन कथानक रचने का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता है।

66. यहां पर यह भी विचारणीय है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में हस्ताक्षर बांयी ओर दिनांक के समक्ष अंकित दिनांक पर ओवर राईटिंग की गयी है जिसको देखने से स्पष्ट पता चलता है कि पहले माह के अंक ''11'' अंकित किया गया था जिसे ओवर राईटिंग कर ''12'' का अंक बनाया गया है और इसी प्रकार दिनांक ''29'' के अंक को ओवर राईटिंग कर ''2'' के अंक को ''0'' के अंक और ''9'' के अंक को ''2'' के अंक में परिवर्तित किया गया है। यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि वादी पी0डब्लू0–1 अकबर खान ने जिरह में यह स्पष्ट किया है कि वह मुकदमें के बारे में जानकारी करने के लिए थाने दो–तीन बार गया। उपरोक्त अलामात भी यह इशारा करते हैं कि वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए तहरीर संभवतः 29.11.2024 को ही दी गयी लेकिन पुलिस द्वारा लापरवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और जब वादी द्वारा उक्त के संदर्भ में पैरवी की गयी, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

67. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर यह अभिनिर्धारित होता है कि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कारित विलंब का स्पष्टीकरण साक्ष्य में ही उपलब्ध है और इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की तरफ से साक्षीगण से प्रश्न पूछकर या सुझाव देकर उसे मुखर चुनौती नहीं ली गयी है। विलंब के आधार पर अभियोजन कथानक को कूटरचित करने का प्रयास भी परिलक्षित नहीं हो रहा है।

68. *इस प्रकार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में कारित विलंब अभियोजन के लिए घातक नहीं है।*

(e) दहेज की मांग व उससे सम्बन्धित प्रताड़ना :–

69. वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अकबर खान, पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान तथा पी0डब्लू0–5

शफीक–उर–रहमान ने मुख्य परीक्षा में दहेज की मांग और प्रताड़ना के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि निकाह में जेवर व जरूरत का समस्त घरेलू सामान व सुपर स्पलेण्डर मोटर साईकिल आदि सामान दिया गया था, परन्तु अभियुक्तगण दिये गये दान दहेज से खुश नही थे और निकाह के कुछ दिन बाद से ही मृतका के पति युसुफ व अभियुक्तगण आये दिन दहेज के ताने देने शुरू कर दिये और दहेज में सभी लोग कभी कार मांगने थे तथा और मायके से डेढ़ लाख रूपये उसकी बहन से लाने का दबाब बनाते थे तथा आये दिन दहेज की मांग के लिए मारपीट करते थे। मृतका अपना घर बचाने के लिए सब कुछ सहन करती रही। युसुफ व उसके परिवार के लोग मृतका से कहते थे कि उसके भाई अकबर का काम सही चल रहा है, वह अपने घर से कुछ लेकर क्यों नहीं आती है। कई बार साक्षीगण ने युसुफ को व उसके परिवार को समझाया लेकिन दहेज मांगने की बातें, आये दिन मारपीट करने वाली बाते, मृतका शाजिया फोन पर अपनी अम्मी अफसरी व साक्षीगण आदि परिवार वालों को फोन से बताती थी और जब भी घर मिलने आती थी, तब भी इन सबके द्वारा किये जा रहे, अत्याचारों के बारे में बताती थी। घर न बिगड़े, इसलिए मृतका को समझा बुझाकर उसे उसकी ससुराल भेज दिया जाता था। पी0डब्लू0–1 अकबर खान ने यह भी कथन किया है कि जब युसुफ व उसके परिवार वालों ने शाजिया के ऊपर डेढ लाख रूपये लाकर देने का दबाब बनाया और कार की मांग की जाती रही। जब यह बात उसे पता चली, तब उसने, इन लोगों से कहा कि कुछ दिनों की मोहलत दे दो। पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान ने मृतका के मायके जाने पर उससे मुलाकात होना और दौरान मुलाकात ससुराल में उसके द्वारा किये जा रहे व्यवहार को बताना अभिकथित किया है और यह भी कथन किया कि उसके मौसा, मौसी ने घर ठीक कराया ही था इसलिए इतना बजट नहीं था कि इकदम कार व डेढ़ लाख रूपया उन्हें भी दे दें।

70. पी0डब्लू0–1 ने मृतका की मृत्यु की सूचना उसके ससुराल के पड़ोसी द्वारा फोन से देने, पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान द्वारा उक्त सूचना फोन से उसे पी0डब्लू0–1 अकबर खान द्वारा देने का कथन किया और पड़ोसी द्वारा फोन से सूचना देने के तथ्य की तस्दीक पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान ने भी की है।

71. साक्षी पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान (पिता) ने मुख्य परीक्षा में मृतका की शादी युसुफ से होने, विवाह में 15 लाख रूपये खर्च होने, विवाह में जेवर, घरेलू सामान, मोटर साईकिल का पैसा आदि देने का उल्लेख किया और शादी के बाद मृतका की ससुराल के परिवार के लोगों का दहेज से संतुष्ट न होने, मृतका को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,

कम दहेज लाने का ताना देने, जिसकी शिकायत मृतका द्वारा उससे किये जाने, उसके द्वारा मृतका को समझाने, मृतका की ससुराल वालों को समझाने के कथन किये हैं और मृतका की मृत्यु की खबर बेटे अकबर (पी0डब्लू0–1) द्वारा फोन पर बताने की साक्ष्य दी है।

72. पी0डब्लू0–1 अकबर खान ने दहेज की मांग के सम्बन्ध में जिरह दिनांक 08.08.2025 व 11.08.2025 को की गयी जिसमें उसके परिवार में उसके भाई–बहन व मृतका से सम्बन्ध के विषय में पूछा गया। इसके अलावा साक्षी से उसके व उसके पिता के रोजगार व कमाई के सम्बन्ध जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना से पहले साजिया और उसके माता–पिता व भाई द्वारा कोई प्रार्थना पत्र कहीं नहीं दिया गया और उसके सामने उसकी बहन से युसुफ ने कभी मारपीट नहीं की। उसकी बहन मोबाईल से उससे कभी कभी बात करती थी। इस साक्षी से युसुफ के रोजगार और उसके परिवार के सदस्यों के निकाह आदि के बारे में जिरह की गयी। साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि उसने अपनी बहन के निकाह में 15 लाख रूपये खर्च किया था और वह स्वयं 25 से 30 हजार रूपये महीना कमा लेता था और परिवार के लोग महीने में 80 हजार रूपये के करीब कमा लेते हैं। साक्षी ने यह भी कथन किया कि बहन की शादी में खर्च किये गये 15 लाख रूपये घर में इकट्ठा किये गये थे। शादी में दान–दहेज की लिस्ट नहीं बनायी गयी थी क्योंकि युसुफ के घर वालों ने मना कर दिया था। शादी में मोटर साईकिल के लिए नकद पैसे दिये थे। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने मोटर साईकिल का नकद पैसा अपनी इच्छा से दिया था।

73. पी0डब्लू0–1 अकबर खान द्वारा दहेज की मांग के संदर्भ में दौरान जिरह अभिकथित उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि मृतका और साक्षी के मध्य फोन से और मुलाकात होने पर बातचीत होती थी और मृतका के परिवार की हैसियत उसके विवाह में 15 लाख खर्च करने की थी। शादी के बाद दहेज की मांग या उसके संबन्ध में प्रताड़ना के तथ्य उपरोक्त कथनों से पुष्ट होते हैं। उक्त तथ्यों पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होता।

74. दौरान जिरह साक्षी पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान ने अपनी आयु, मृतका की मृत्यु की घटना के समय और उसकी सूचना बेटे द्वारा दिये जाने के संदर्भ में कथन किये हैं। इस साक्षी ने विवाह में दिये गये सामान का खुलासा भी जिरह में स्पष्ट रूप से किया है। यह भी स्वीकार किया है कि मोटर साईकिल युसुफ ने खरीदी थी और उससे कभी–कभार एक

साथ उसके घर आये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि युसुफ व उसके परिवार वालों ने शादी के समय उससे दहेज नहीं मांगा था लेकिन शादी के बाद से ही दहेज की मांग शुरू कर दी थी। उसकी लड़की शाजिया और ससुराल वालो में अक्सर झगड़ा होता ही रहता था और कहते थे कि यह सामान नहीं लायी, वह सामान नहीं लायी, परेशान करते ही रहते थे। परेशान करने के सम्बन्ध में मुकदमा नहीं लिखवाया लेकिन शिकायतें कीं। साक्षी ने स्पष्ट किया कि शिकायतें उसने युसुफ के माता–पिता और युसुफ से कीं। निकाह से घटना के समय तक मृतका युसुफ के साथ साढ़े पांच साल रही। इस साक्षी ने निकाहनामा किसके पास है और मेहर की जानकारी से इंकार किया है। युसुफ के दो बेटे, छोटा 6–7 माह और बड़ा 1–2 साल का होना भी स्वीकार किया है। साक्षी ने दोनों बच्चों के उसके साथ रहने का भी कथन किया है। इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि शाजिया ने उससे डेढ़ लाख रूपये के लिए कहा था, कारण नहीं बताया था कि किस लिए चाहिए लेकिन उससे कहा था कि युसुफ उससे कार की मांग कर रहा है। कार की मांग वाली बात उससे व परिवार वालों से बतायी थी। साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि वह राजगीर का काम करता है, गरीब भी नहीं है और न ही पैसे वाला हे। उसकी मोटर साईकिल की हैसियत है, कार की हैसियत नहीं है। इस साक्षी ने दहेज में कार की मांग न करने और बेटी द्वारा आत्महत्या करेन के बाद बेटे द्वारा दहेज का झूठा मुकदमा लिखाने के सुझाव से भी इंकार किया है। इस साक्षी ने भी अकबर का हल्द्वानी में कार का काम करने, उसके द्वारा 30–40–50 हजार रूपये महीना कमा लेने, परिवार की महीने की आमदनी 80–90 हजार रूपये होने का कथन किया है।

75. पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान की उपरोक्त साक्ष्य से भी विवाह में अभिकथित खर्च किये जाने की सामर्थ्य को समर्थन प्राप्त होता है और इस साक्षी ने यह भी साबित किया है कि शादी में दहेज नहीं मांगा गया था लेकिन उसके बाद दहेज की मांग शुरू कर दी थी। इस साक्षी की साक्ष्य से भी मृतका के साथ अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग करने और उसके पूरा न होने पर उसके साथ कूरता का व्यवहार करने के तथ्यों पर कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होता है।

76. दौरान जिरह साक्षी **पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान** ने स्वयं को बी0ए0 तक पढ़ा लिखा होना, मेडिकल चलाने, शाजिया उसकी सगी खलेरी बहन होना, उसका उसकी खाला के यहां आना जाना व खाला का घर फरीदापुर चौधरी में होना और उसका घर परतापुर चौधरी में होना बताया है। साक्षी ने कथन किया है कि खलेरी बहन शाजिया की

शादी उसने नहीं करवाई थी, वह शादी में गया था, वह युसुफ और उसके घरवालों को पहले से ही जानता था। साक्षी ने कथन किया कि वह निकाह से पहले युसुफ के घर आता जाता नहीं था, निकाह के बाद युसुफ के घर कितनी बार गया था, उसे याद नहीं लेकिन गया था। शाजिया की मौजूदगी में वह गया था लेकिन उसे तारीख याद नहीं है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि युसुफ भी उसके घर आया था और शाजिया भी उसके घर गयी थी, दोनों साथ में भी गए थे और अकेले अकेले भी गए थे, किसी काम से भी अकेले भी आते थे। साक्षी ने कथन किया कि शाजिया की शादी को करीब छः साल हो गए हैं, शाजिया के दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। इन बच्चों का जन्म गांव में ही एक नर्स के यहां हुआ था, सन् याद नहीं है, करीब दो या तीन साल बाद हुआ होगा। साक्षी ने यह भी कथन किया कि बच्चों के जन्म के समय वह शाजिया से मिलने नहीं गया था, उसे बच्चों के जन्म की जानकारी उसकी खाला द्वारा मिली थी, बच्चों के जन्म की दावत में वह नहीं गया था। साक्षी ने यह भी कथन किया कि वह शाजिया से आखिरी बार कब मिला था, उसे याद नहीं है, करीब एक डेढ़ महीने में मिलते ही रहते थे। वह जब खाला के घर जाता था, तब मिल जाते थे। जब शाजिया मायके में आती थी जब भी वह मिल जाते थे और फोन से भी बात हो जाती थी। साक्षी ने कथन किया कि शाजिया और युसुफ का निकाह दिनांक 22.04.2019 को हुआ था, निकाह शाजिया के घर हुआ था, युसुफ से वह आखिरी बार कब मिला था, उसे याद नहीं है। साक्षी ने कथन किया कि उसकी युसुफ से कभी कभी फोन से बात हो जाती थी, मोबाइल नम्बर उसे याद नहीं है, युसुफ का नम्बर सेव नहीं है। साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि वह युसुफ और शाजिया की लड़ाई में गया था, वह लड़ाई झगड़े में भी जाता था और बिना लड़ाई झगड़े के भी जाता था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट कथन किया है कि वह उन्हें समझाने के लिए पांच छः लोग जाते थे। शाजिया लड़ाई झगड़े की शिकायत मायके वालों से भी करती थी। साक्षी ने कथन किया कि पंचायत नहीं होती थी, जहां चार छः लोग समझाने के लिए बैठते हैं, वहीं पंचायत होती है। साक्षी ने कथन किया कि उसे लड़ाई झगड़े की जानकारी कोई न कोई दे ही देता था, कभी कभी खाला भी बता देती थी, कभी खालू बता देते थे। साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि दहेज के सम्बन्ध मेकं जानकारी उसे शाजिया ने दी थी और उसके मायके वालों ने भी दी थी। साक्षी ने कथन किया कि निकाहनामा की एक कॉपी लड़के वालों को दी जाती है और एक कॉपी लड़की वालों को भी दी जाती है, शाजिया के सम्बन्ध में भी यही हुआ होगा, उसे इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने शाजिया का निकाहनामा देखने से इंकार

किया है तथा शाजिया जब दहेज की मांग की जानकारी देती थी तब थाने में सूचना कभी न देने का कथन किया है।

77. पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान की उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतका और उसकी ससुराल में विवाद होते थे जिनके निपटारे के लिए साक्षी भी जाता था और मृतका इस साक्षी से भी ससुराल में हो रहे दुर्व्यवहार को बताती थी। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भी दहेज की मांग व उसके सम्बन्ध में प्रताड़ना के अभियोजन कथानक को समर्थन प्राप्त होता है।

78. विचारणीय है कि डी0डब्लू0–1 नासिर अली खान ने दौरान जिरह यह कथन किया है कि उसे मृतका के मायके जाने और वापस आने की तारीख नहीं मालूम। निकाह के बाद महिलाओं के पर्दानशी होने के तथ्य को साक्षी ने स्वीकार किया है। इस परिस्थिति के अंतर्गत मृतका से ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग उसकी उपस्थिति में किया जाना संभव ही नहीं है और इसी लिए साक्षी ने दहेज की मांग के संदर्भ में न सुने जाने का कथन किया है।

79. डी0डब्लू0–2 शबरूल निशा ने भी मृतका से अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग न किये जाने का उल्लेख किया है लेकिन यह स्वीकार किया है कि वह अपने घर में अलग रहती है और मुल्जिमान अपने घर में अलग रहते हैं। एक साथ एक ही घर में न रहने के तथ्यों व परिस्थितियों को साक्षी ने दौरान जिरह अभिकथित किया है। इस साक्षी ने अपने मकान से युसुफ के मकान की दूरी न मालूम होना कहा है। यह जवाब दर्शाता है कि दोनों मकान एक–दूसरे से सटे हुए नहीं हैं। इस साक्षी ने भी मृतका के मायके जाने और वहां से वापस आने की तिथि जानने से इंकार किया है।

80. बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य भी अभियोजन कथानक पर अविश्वास करने और न्यायालय के समक्ष निर्भर किये जाने योग्य साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की परिस्थितियों का अभाव है।

81. *दहेज की मांग और उसकी प्रताड़ना के संदर्भ में साक्षीगण द्वारा मुख्य परीक्षा में अभिकथित तथ्य और दौरान जिरह वर्णित परिस्थितियों के उपरोक्तानुसार अध्ययन के उपरांत सम्यक् मूल्यांकन से यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष अभिनिर्धारित होता है कि मृतका से शादी के बाद दहेज की मांग किया जाना, मांग पूरी न होने पर उसको प्रताड़ित किये जाने का तथ्य संदेह से परे साबित है।*

(f) बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक कथानक की विवेचना :–

82. उपरोक्त तथ्यों पर संदेह करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा घटना से पहले मृतका का मायके जाना और वहां भाभी से झगड़े के बाद वापस आकर आत्महत्या करने का वैकल्पिक कथानक रखा गया है।

83. उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0–1 अकबर खान ने इस सम्बन्ध में दौरान जिरह यह स्वीकार किया है कि मरने से 4–5 दिन पहले उसकी बहन उसके घर आयी थी और एक दिन रूककर अपनी ससुराल चली गयी थी। युसुफ लेने नहीं आया था। उसकी छोटी बहन मुसर्रफ अपनी बहन को छोड़ने गयी थी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी युसुफ से अंतिम बार बात बहन के मरने से कुछ दिन पहले आमने–सामने हुई थी, फोन से नहीं हुई थी। बहन को गुस्सा आने के तथ्य से साक्षी ने इंकार किया है और यह स्पष्ट कथन किया है कि जब उसकी बहन घर से ससुराल गयी थी जब बिल्कुल ठीक थी। उसे कोई बीमारी नहीं थी। साक्षी ने अपनी पत्नी और बहन शाजिया के मध्य लड़ाई के तथ्य से इंकार किया है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि दोनों के मध्य लड़ाई हुई हो और मृतका लड़कर ससुराल चली गयी हो और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि लड़ाई के कारण उसने अपनी ससुराल में आत्महत्या कर ली हो। इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि आखरी बार जब उसकी बहन ससुराल गयी थी तब वह घर पर मौजूद था।

84. पी0डब्लू0–1 अकबर खान के उपरोक्त कथनों से यह परिस्थिति स्पष्ट है कि मृतका घटना से कुछ दिन पहले मायके आयी थी व बीमार नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी और उसकी भाभी व उसके मध्य कोई झगड़ा नहीं हुआ था।

85. पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान ने दौरान जिरह मृतका के ससुराल आने के सम्बन्ध में घटना से 4–5 दिन पहले मृतका के मायके आने, मृतका की छोटी बहन द्वारा उसे ससुराल पहुंचाने के कथन किये हैं और यह भी कथन किया है कि उसके घर से बेटी की ससुराल आधा किलोमीटर दूर है। इस साक्षी ने अकबर की शादी होना, उसकी पत्नी का साथ में रहना स्वीकार किया है और कथन किया है कि अकबर की पत्नी का व्यवहार उन सब लोगों के लिए अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और अकबर की पत्नी का शाजिया से भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इस साक्षी ने शाजिया का घटना से दो माह पूर्व घर पर आना और वहां दो माह रूकने के तथ्य से इंकार किया है और अकबर की

पत्नी और शाजिया के मध्य झगड़ा होना, शाजिया का सामान घर से बाहर निकालकर फेंक देना, जिस पर शाजिया का ससुराल चले जाने के सुझाव से भी साक्षी ने इंकार किया है। साक्षी ने बेटी के आखरी बार ससुराल जाने पर स्वयं के घर पर न होने का कथन किया है। इस साक्षी ने शाजिया द्वारा अकबर को डेढ़ लाख रूपये देने और वापस मांगने पर शाजिया को न देने के सुझाव से भी इंकार किया है और पैसे वापस न मिलने पर शाजिया ने मायके में फांसी लगाने की धमकी देने, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा कर उसे उसके ससुराल भगा देने, उसके द्वारा शाजिया को प्रताड़ित करने के कारण फांसी लगाने या शादी से पहले गुस्से में आकर जहर खाने के सुझाव से इंकार किया है।

86. पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान की साक्ष्य से भी यह तथ्य स्थापित होता है कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका जब मायके आयी थी तो उसका कोई वाद–विवाद अपनी भाभी से नहीं हुआ था।

87. साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण द्वारा मृतका व उसकी भाभी के मध्य घटना से पहले किसी भी प्रकार के झगड़े के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। यहां पर यह भी विचारणीय है कि दौरान जिरह झगड़े की विषयवस्तु भी अभियोजन साक्षीगण से दौरान जिरह पूंछताछ कर या सुझाव के माध्यम से लाने का प्रयास नही किया गया है।

88. मृतका के घटना से पहले मायके से भाभी से झगड़ा करके आने के सम्बन्ध में डी0डब्लू0–1 नासिर अली खान ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि मृतका एक दो दिन पहले मायके से आयी थी लेकिन इस साक्षी ने मृतका द्वारा फांसी लगाये जाने का कारण जानने से इंकार किया है।

89. डी0डब्लू0–2 शबरूल निशा ने मृतका का दो–चार दिन पहले मायके से आना कहा है और इस साक्षी ने शाजिया द्वारा मायके में भाभी से लड़ाई होने का तथ्य उसे बताने का उल्लेख किया है लेकिन लड़ाई की विषयवस्तु बताये जाने का कथन इस साक्षी ने नहीं किया है।

90. डी0डब्लू0–3 मो0 आरिफ ने घर के बाहर खुले रास्ते पर मृतका और उसकी भाभी का झगड़ा होता हुआ देखने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि मोहल्ले के लोग भी वहां खड़े थे। झगड़े को स्वयं देखने का कथन करने के बावजूद इस साक्षी ने झगड़े की विषयवस्तु का कोई उल्लेख नहीं किया है। डी0डब्लू0–3 मो0 आरिफ ने दौरान

जिरह स्वीकार किया है कि युसुफ की शादी के बाद वह उसकी ससुराल कभी नहीं गया। इस साक्षी ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा घर बाहर पर्दा करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए यह कथन किया कि वह युसुफ की ससुराल में जनानखाना नहीं गया था केवल शादी में खाना खाकर चला आया था। शाजिया की मृत्यु के समय उसकी ससुराल में उपस्थित होने या उसके संस्कार और जनाजे में शामिल होने से साक्षी ने इंकार किया है। उपरोक्त परिस्थिति के अंतर्गत साक्षी द्वारा मृतका का अपने मायके के घर के बाहर अपनी भाभी से झगड़ा करते हुए देखे जाने का तथ्य संभाव्य की प्राययिक्ता की परिधि से बाहर हो जाता है क्योंकि दो व्यक्तियों के मध्य झगड़ा होने पर उनकी पहचान साक्षी द्वारा किया जाना आवश्यक है। साक्षी ने इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया कि पी0डब्लू0–1 अकबर खान की पत्नी और मृतका शाजिया को पूर्व से पहचानता था जिसके कारण उसने घटना के समय भी उन महिलाओं को झगड़ा करने वाली महिलाओं के रूप में पहचाना हो।

91. पी0डब्लू0–1 अकबर खान से दौरान जिरह मृतका की बीमारी के संदर्भ में जिरह की गयी। हालांकि साक्षी ने मृतका के बीमार रहने के तथ्य से इंकार किया है। इसके अलावा इस साक्षी के समक्ष मृतका की भाभी द्वारा झगड़े के दौरान मृतका का सामान घर से बाहर निकालकर फेंक देना या मृतका द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–1 अकबर को डेढ़ लाख रूपये देने और उसे वापस मांगने पर इंकार कर देने का कोई सुझाव या कथानक नहीं रखा गया है। यहां तक कि उक्त कारण से मृतका द्वारा आत्महत्या करने का भी कोई उल्लेख इस साक्षी से नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तथ्यों को पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान के समक्ष भी नहीं रखा गया और न ही किसी बचाव साक्षी द्वारा कहा गया। डी0डब्लू0–3 मो0 आरिफ, जिसने मृतका को अपनी भाभी से घर के बाहर मोहल्ले वालों के सामने झगड़ा करते हुए देखने का कथन किया है, ने भी मृतका के सामान फेंकने या डेढ़ लाख रूपये के लेन–देन के परिप्रेक्ष्य में झगड़ा होने का कथन नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभियुक्तगण ने बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के दौरान भी ऐसा कोई कथानक न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है।

92. अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य और बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का उपरोक्तानुसार अध्ययन से यह तथ्य संदेह से परे साबित है कि मृतका मृत्यु से ठीक पहले मायके गयी थी और मृत्यु से कम से कम दो से चार दिन पहले वह ससुराल आ गयी थी। यदि मायके में भाभी से झगड़े से दुष्प्रेरित होकर या उद्वेलित होकर मृतका द्वारा आत्महत्या की जाती तो स्वाभाविक रूप से यह कृत्य मायके से वापस आने वाले दिन ही घटित होना

चाहिए और उक्त समयांतराल में किसी अन्य रिश्तेदार, निकट सम्बन्धी या पड़ोसी से मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। झगड़े की घटना के बाद समय व्यतीत होने पर और निकट सम्बन्धी, परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने और पड़ोसियों से बात चीत के उपरांत स्वाभाविक रूप से दुष्प्रेरण के प्रभाव की कमी हो जाती है और मृतका द्वारा आत्महत्या का निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो सकता है। मायके से लौटने के दो–तीन दिन बाद यदि मृतका ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया है तो इससे मात्र एक अवधारणा अभिनिर्धारित होती है कि मृतका द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ससुराल में घटित घटनाक्रम के कारण जनित दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप ही लिया गया है।

93. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चेतन दशरथ गदे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2026 आई एन एस सी 522** के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि पत्नी की मृत्यु उसकी ससुराल की चारदीवारी के अंदर होती है और उसकी मृत्यु के संदर्भ में संतोषप्रद तथा सत्य सदृश स्पष्टीकरण धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित भार के वहन में नहीं दिया जाता है तो ऐसी दशा में यह परिस्थिति इस निष्कर्ष को अभिनिर्धारित करने की श्रृंखला को पूर्ण करती है कि अभियोजन पर युक्तियुक्त संदेह का आधार नहीं है।

94. *वर्तमान मामले में यह साबित हो चुका है कि मृतका की मृत्यु ससुराल में हुई। ऐसी दशा में उसके पति युसुफ और उसके परिवार के सदस्यों पर उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट किये जाने का भार है। बचाव पक्ष द्वारा भाभी से झगडा होने का कथानक अवश्य रखा गया लेकिन उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उक्त तथ्य या स्पष्टीकरण को बचाव पक्ष संभाव्य की प्राययिक्ता (preponderance of probability) तक साबित करने में असफल है।*

(g) घटना घटने से ठीक पूर्व मृतका के साथ प्रताड़ना :–

95. बचाव पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गये वैकल्पिक कथानक की विवेचना के दौरान वर्णित उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित है कि मृतका मृत्यु से कम–से–कम दो–तीन दिन पहले मायके आयी थी और मायके से जाने के बाद दो–तीन दिन गुजरने के पश्चात् उसने आत्महत्या की। मायके में भाभी से झगड़े के तथ्य को विश्वसनीयता के स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है बल्कि उक्त के संदर्भ में अभियोजन साक्षीगण से दौरान जिरह और बचाव साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के समय जिस प्रकार से तथ्य अभिकथित

किये गये हैं, वह यही दर्शाते हैं कि बचाव पक्ष द्वारा बचाव में कथानक रचने का ही प्रयास किया गया है।

96. "चेतन दशरथ" (उपरोक्त) के मामले में व्यक्त अभिमत के अनुसार बचाव पक्ष द्वारा मृतका के मायके से वापस आने और स्वयं का जीवन समाप्त करने के मध्य घटित परिस्थितियों को धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्राविधानित भार के अनुरूप साबित नहीं किया गया है।

97. अतः उपरोक्त परिस्थितियां इस अवधारणा को अवधारित करती हैं कि मृतका द्वारा दुष्प्रेरित होकर गले से लटककर स्वयं का जीवन समाप्त करने का निर्णय लेने से ठीक पूर्व उसकी ससुराल में उसके साथ प्रताड़ना का व्यवहार किया गया और दहेज की मांग के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह भी अवधारणा की जाती है कि उक्त प्रताड़ना दहेज की मांग पूरी न होने के ही संदर्भ में थी।

98. *इस प्रकार यह न्यायालय मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उसे प्रताडित करने के तथ्य को भी संदेह से परे साबित करने की अवधारणा करती है।*

(h) घटनास्थल पर अभियुक्तगण का उपस्थित न होना :–

99. घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरांत घटनास्थल पर पहुंचने और वहां पर अभियुक्तगण के न उपस्थित होने के संदर्भ में साक्षी पी0डब्लू0–1 अकबर खान ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह के दौरान यह कथन किया है कि घटना की सूचना दिनांक 28.11.2024 को 06.00 से 06.30 बजे युसुफ के घर के पड़ोसी द्वारा फोन से दी गयी थी। इस साक्षी ने बहन के घर पहुंचकर उसके शव को चारपाई पर देखने, परिवार के लोगों द्वारा चोट के निशान देखने, मृतका का दाह–संस्कार खुद करने का कथन किया है।

100. दौरान जिरह साक्षी **पी0डब्लू0–3 शब्बीर खान** ने घटना की जानकारी अपने बेटे अकबर द्वारा हल्द्वानी से फोन द्वारा दिये जाने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि घटनास्थल पर वह सबसे पहले पहुंचा था। घटनास्थल पर मृतका को चारपाई पर पड़ा होने तथा वहां पर मोहल्ले के लोगों का होना और युसुफ के परिवार का कोई न होने को भी कथन किया है।इस साक्षी ने हाथ से इशारा करके अंगुली बराबर मोटा काला निशान मृतका के गले पर होने का कथन किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि बाकी शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था। इस साक्षी ने किसी से घटना की जानकारी

करने का प्रयास न करने, थाने न जाने और पुलिस को बुलाने का उल्लेख नहीं किया है लेकिन लड़के द्वारा किसी से कहलवाकर पुलिस को बुलाये जाने की संभावना व्यक्त की है।

101. दौरान जिरह साक्षी **पी0डब्लू0–5 शफीक–उर–रहमान** ने कथन किया कि उसे घटना की जानकारी खलेरे भाई से मिली थी। वह घटनास्थल पर शाम को सात बजे के करीब गया था। उस वक्त आस पड़ोसी, मोहल्ले वाले मौजूद थे, उसका भाई बाद में आया था, खाला खालू वहां पर मौजूद थे। साक्षी ने यह भी स्पष्ट कथन किया है कि युसुफ के घरवालों में से कोई नहीं था। युसुफ भी मौजूद नहीं था।

102. विचारणीय है कि पंचनामा की कार्यवाही के दौरान भी अभियुक्तगण उपस्थित नहीं थे और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को पंच नियुक्त किये जाने का कथन किया गया है जबकि अभियुक्तगण के गांव के निवासी अब्दुल रहीम खां, दिलशाद खां, शफीक–उर–रहमान व नाजिर बेग को पंच नियुक्त किया गया है।

103. *उपरोक्त परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि घटना के तुरंत बाद अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे बल्कि घटनास्थल से फरार हो गये थे। यह परिस्थिति भी अभियुक्तगण के विरूद्ध अवधारणा अभिनिर्मित करती है।*

(i) अभियुक्त युसुफ के अन्यत्र उपस्थित रहने के अभिवाक् की विवेचना :–

104. विचारणीय है कि अभियुक्त युसुफ द्वारा धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान में ऐसा कोई अभिवाक् नहीं लिया गया है और न ही दौरान साक्ष्य अभियोजन साक्षीगण के समक्ष ऐसी कोई परिस्थिति ही रखी गयी है। बचाव साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त युसुफ के घटना के समय दिल्ली में उपस्थित रहने का अभिवाक् लिया गया है लेकिन दिल्ली में उपस्थित रहने के स्थान या कारण को अभियुक्त द्वारा विशिष्ट साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है।

105. जगदीश गौण्ड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य ए0आई0आर0 2025 एस0सी0 2423, 2025 आई एन एस सी 460 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि घटना किसी आवासीय स्थान, जहां पति भी रहता था, पर घटित हुई है। तब यदि अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है और जो स्पष्टीकरण दिया जाता है वह स्पष्ट रूप से असत्य है तो यह अभियोजन के पक्ष में एक मजबूत परिस्थिति है जो अभियुक्त की दोषसिद्धि को साबित करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा घटना के समय स्वयं को अपनी ड्यूटी पर सीमेंट फैक्ट्री

में जाने का कथन किया गया था और अभियुक्त द्वारा उक्त तथ्य को निर्भर किये जाने योग्य साक्ष्य से साबित किया गया जबकि वर्तमान मामले में अभियुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यत्र उपस्थित रहने का अभिवाक् नहीं लिया गया है और उक्त परिस्थिति को बचाव साक्षियों से कहलवाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद निर्भर किये जाने योग्य साक्ष्य से उसे साबित नहीं किया गया।

106. *उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बचाव पक्ष द्वारा अन्यत्र उपस्थित रहने के अभिवाक् को निर्भर किये जाने योग्य स्तर तक साक्ष्य से साबित न करके इस मामले में अभियोजन के पक्ष में अवधारणा हेतु एक परिस्थिति का निर्माण किया है।*

(j) अभियुक्तगण की भूमिका की विवेचना :–

107. विचारणीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण युसुफ, शराफत अली खां, शमशाद खां व श्रीमती मुम्त्याज बानो के साथ साथ शारिक अली खां, निजाकत अली खां, उस्मान अली खां, कमरूल निशा उर्फ अनस व नईमुद्दीन खां को भी मुल्जिम बनाया गया था लेकिन दौरान विवेचना उपरोक्त लोगों के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं पायी गयी। वर्तमान मामले में दौरान साक्ष्य साक्षीगण ने सभी उपरोक्त लोगों का नाम बयान में लिया लेकिन अभियोजन की तरफ से विवेचना के दौरान निकाले गये नामों पर विचार करते हुए उनके विरूद्ध विचारण की याचना नहीं की गयी और इस न्यायालय द्वारा भी साक्ष्य की विवेचना के पश्चात् अभियुक्तगण युसुफ, शराफत अली खां, शमशाद खां व श्रीमती मुम्त्याज बानो के साथ उपरोक्त लोगों शारिक अली खां, निजाकत अली खां, उस्मान अली खां, कमरूल निशा उर्फ अनस व नईमुद्दीन खां का विचारण करने की परिस्थितियां, विशेषकर सम्पूर्ण विचारण समाप्त होने के पश्चात्, नहीं पायी गयीं।

108. *अभियुक्तगण युसुफ, शराफत अली खां, शमशाद खां व श्रीमती मुम्त्याज बानो के विरूद्ध अभियोजन द्वारा कमोबेश एक समान साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त अभियुक्तगण की भूमिका को पृथक करने अथवा उनके निवास पृथक–पृथक होने के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण की भूमिका एक–समान पाया जाना ही संदेह से परे साबित होता है।*

(XI) अनुकल्पित आरोप अंतर्गत धारा 103 बी0एन0एस0 की विवेचना :–

109. वर्तमान मामले में अनुकल्पित आरोप अंतर्गत धारा 103 बी0एन0एस0 भी विरचित किया

गया है। वस्तुतः साक्षीगण का प्रथम आरोप यह था कि अभियुक्तगण ने रस्सी से गला दबाकर मृतका की हत्या कारित की है लेकिन चिकित्सकीय साक्ष्य से यह साबित है कि मृतका की मृत्यु का कारण गले से लटकने की वजह से दम घुटना है।

110. अभियोजन द्वारा इस तथ्य की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि मृतका के गले से लटकने में किसी बाह्य बल या व्यक्ति की भूमिका है। उल्लेखनीय है कि बाह्य बल या व्यक्ति की भूमिका होने पर मृतका के शरीर पर संघर्ष के चिन्ह अवश्य पाये जाते लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य या अलामात मृतका के शव पर शव परीक्षण के दौरान नहीं पाया गया है।

111. *उपरोक्त परिस्थिति के सम्यक् अध्ययन व मूल्यांकन के उपरांत यह अभिनिर्धारित होता है कि अभियुक्तगण की आपराधिक जिम्मेदारी धारा 103 बी0एन0एस0 के अपराध के संदर्भ में साबित नहीं होती है।*

(XII) निष्कर्ष :–

112. पत्रावली पर उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष अभिनिर्धारित होते हैं–

(1) मृतका की मृत्यु दिनांक 28.11.2024 को अभियुक्तगण के निवास स्थान, स्थित ग्राम फरीदापुर चौधरी, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली में हुई।

(2) मृतका की मृत्यु शव परीक्षण से लगभग आधा दिन पूर्व गर्दन से लटकने के कारण घटित होना संदेह से परे साबित है।

(3) मृतका और युसुफ का निकाह 22.04.2019 को सम्पन्न होना संदेह से परे साबित है।

(4) अभियोजन मृतका के निकाह के सात वर्ष के अंदर ससुराल में अस्वाभाविक अर्थात् सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु के तथ्यों को संदेह से परे साबित करने में सफल है।

(5) वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में कारित विलंब अभियोजन के लिए घातक नहीं है।

(6) मृतका से शादी के बाद दहेज की मांग किया जाना, मांग पूरी न होने पर उसको प्रताड़ित किये जाने का तथ्य संदेह से परे साबित है।

(7) मृतका के पति युसुफ और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मृत्यु का कारण स्पष्ट किये जाने का भार विधि अनुसार वहन नहीं किया गया है।

(8) भाभी से झगड़ा होने के कारण मृतका द्वारा आत्महत्या के कथानक का तथ्य या स्पष्टीकरण को संभाव्य की प्राययिक्ता (preponderance of probability) तक साबित करने में बचाव पक्ष असफल है।

(9) मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उसे प्रताड़ित करने के तथ्य को भी संदेह से परे साबित करने की अवधारणा अभिनिर्धारित होती है।

(10) घटना के तुरंत बाद अभियुक्तगण का घटनास्थल पर उपस्थित न होना बल्कि घटनास्थल से फरार हो जाना साबित है। यह परिस्थिति भी अभियुक्तगण के विरूद्ध अवधारणा अभिनिर्मित करती है।

(11) बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त युसुफ के अन्यत्र उपस्थित रहने के अभिवाक् को निर्भर किये जाने योग्य स्तर तक साक्ष्य से साबित न करके इस मामले में अभियोजन के पक्ष में अवधारणा हेतु एक परिस्थिति का निर्माण किया है।

(12) अभियुक्तगण युसुफ, शराफत अली खां, शमशाद खां व श्रीमती मुम्त्याज बानो के विरूद्ध अभियोजन द्वारा कमोबेश एक समान साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।

(13) उपरोक्त अभियुक्तगण की भूमिका को पृथक करने अथवा उनके निवास पृथक–पृथक होने के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

(14) पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण की भूमिका एक–समान पाया जाना ही संदेह से परे साबित होता है।

113. धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत यह प्राविधान किया गया है कि यदि मामले में यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के तुंरत पहले अभियुक्त ने दहेज की मांग की और उसके सम्बन्ध में महिला के साथ क्रूरता की या उसे तंग किया तो यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त ने दहेज मृत्यु कारित की है।

114. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग 2025 आई एन एस सी 1435 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि वर्तमान में दहेज सभ्यताओं से परे दुष्कर्म बन चुका है। यह केवल हिन्दू समाज में नहीं बल्कि अन्य समाज,

जिसमें मुस्लिम समाज शामिल है, में भी व्याप्त है। हालांकि मुस्लिम समाज में मेहर का प्रयोग सुरक्षा के रूप में किया जाता है लेकिन वर्तमान में उसमें भी प्रश्नचिन्ह लग चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दहेज हत्या के लिए आवश्यक अवयवों का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा, विवाह से सात वर्ष के अंदर हुई है और मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका दहेज की मांग के संदर्भ में प्रताड़ित की गयी है तो दहेज हत्या के समस्त आवश्यक अवयव पूर्ण होते हैं।

115. **सूरसिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य, ए0आई0आर0 2024 एस0सी0 4551** के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि मामले में दहेज की मांग का आरोप है और प्रताड़ना और उक्त प्रताड़ना दहेज के सम्बन्ध में किये जाने के साथ साथ प्रताड़ना मृत्यु से ठीक पूर्व कारित होने की विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी है तो धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम (वर्तमान में धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के समस्त आवश्यक अवयव पूर्ण होते हैं।

116. उपरोक्त संदेह से परे साबित तथ्यों और निर्भर किये जाने वाली परिस्थितियों के अंतर्गत धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के समस्त आवश्यक पूर्ण होते हैं क्योंकि मृतका का विवाह अभियुक्त युसुफ से दिनांक 22.04.2019 को सम्पन्न होने के पश्चात् मृतका द्वारा स्वयं का जीवन दिनांक 28.11.2024 को स्वयं अपने गले में फंदा डालकर लटककर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा समाप्त कर स्वयं की मृत्यु कारित की गयी है। इसके साथ ही साक्ष्यों से मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग, शादी के बाद से बदस्तूर जारी रहने और उसी मांग के संदर्भ में प्रताड़ना कारित करने के तथ्य की अवधारणा हेतु पर्याप्त परिस्थितियां उपलब्ध हैं।

117. उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज लेने का तथ्य साबित नहीं है क्योंकि साक्ष्य में यह साक्षीगण द्वारा स्वीकार किया गया है कि विवाह में कोई दहेज की मांग नहीं की गयी, जो भी उपहार दिये गये थे स्वेच्छया व हैसियत के अनुरूप दिये गये थे। किसी भी अभियुक्त द्वारा दहेज के लेने या देने के दुष्प्रेरण की विशिष्ट साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

118. उपरोक्त समस्त निष्कर्ष के आधार पर यह न्यायालय एक मात्र परिणाम पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** के विरूद्ध

अभियोजन आरोप अंतर्गत धारा **85, 80(2) बी0एन0एस0** तथा **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** संदेह से परे साबित करने में **सफल** व **धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** तथा **अनुकल्पित आरोप अंतर्गत धारा 103 बी0एन0एस0** संदेह से परे साबित करने में **विफल** रहा है।

119. तद्नुसार अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** आरोप अंतर्गत धारा **85, 80(2) बी0एन0एस0** तथा **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** में **दोषसिद्ध** व **धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** तथा **अनुकल्पित आरोप अंतर्गत धारा 103 बी0एन0एस0** में **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

120. अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** को सत्र परीक्षण सं0–898/2025, मु0अ0सं0 884/2024, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामले में धारा **103 बी0एन0एस0** के अन्तर्गत अनुकल्पित आरोप तथा **धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप में **दोषमुक्त** किया जाता है।

121. अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** को सत्र परीक्षण सं0–898/2025, मु0अ0सं0 884/2024, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामले में धारा **85, 80(2) बी0एन0एस0** तथा **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

122. अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** उपरोक्त प्रकरण में दौरान विचारण जमानत पर रहे हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

123. अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

124. दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 05.06.2026 को पेश हो। अभियुक्तगण नियमानुसार तलब हो।

दिनॉकः 04.06.2026

(प्रदीप कुमार सिंह–IInd)
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

दिनांक 05.06.2026

1. दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 05.06.2026 को पेश हो। अभियुक्तगण नियमानुसार तलब हो।

2. सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण युसुफ खां, शराफत अली, शमशाद खां, मुम्त्याज बानो अभिरक्षा में जिला कारागार से तलब होकर पेश हुए।

3. सजा के बिन्दु पर अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा विवाह के 05 वर्ष 07 माह बाद और 02 पुत्रों को जन्म देने के पश्चात् भी मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया जिससे दुष्प्रेरित होकर उसके द्वारा अपनी जीवन समाप्त कर लिया गया। प्रभारी शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि दोनों बच्चे वर्तमान में वादी पक्ष के साथ अर्थात् ननिहाल में ही रह रहे हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दिण्डत किया जाये और जुर्माने की राशि से बच्चों को क्षतिपूर्ति भी दिलायी जाये।

4. बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त युसुफ और उसके पिता शमशाद ही आय अर्जित करने वाले हैं। अभियुक्त शमशाद और अभियुक्ता मुम्त्याज बानो वृद्ध हैं। परिवार अत्यंत गरीब है। अतः उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

5. उभय पक्ष के तर्कों को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया।

6. दिनांक 04.06.2026 को अभियुक्तगण युसुफ खां, शराफत अली, शमशाद खां व मृम्त्याज बानो को अंतर्गत धारा 85, 80(2) बी0एन0एस0 तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दोषसिद्ध किया जा चुका है।

7. धारा 80(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दहेज मृत्यु के अपराध के लिए कारावास की अवधि 07 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, से दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

8. धारा 85 बी0एन0एस0 के अंतर्गत कारावास जिसकी अवधि 03 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

9. धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज की मांग के अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 06 माह से कम नहीं होगी किन्तु 02 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 हजार रूपये तक होगा, के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

10. अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित अपराध और उनके संदर्भ में प्राविधानित दण्ड तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण युसुफ खां, शराफत अली, शमशाद खां व मृम्त्याज बानो धारा 80(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दस–दस वर्ष के कारावास, धारा 85 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत तीन–तीन वर्ष के कारावास व 10,000–10,000/– रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक–एक वर्ष के कारावास व 5,000–5,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य हैं।

दण्डादेश

11. अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** को सत्र परीक्षण सं0–898/2025, मु0अ0सं0 884/2024, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामले में धारा **85, 80(2) बी0एन0एस0** तथा **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

12. सत्र परीक्षण सं0–898/2025, मु0अ0सं0 884/2024, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामलें में **धारा 80(2) बी0एन0एस0** के अन्तर्गत अपराध हेतु अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** उपरोक्त को **दस–दस वर्ष के कारावास** से दण्डित किया जाता है।

13. सत्र परीक्षण सं0–898/2025, मु0अ0सं0 884/2024, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामलें में **धारा 85 बी0एन0एस0** के अन्तर्गत अपराध हेतु अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** उपरोक्त को **तीन–तीन वर्ष** के कारावास से तथा **मु0–10,000–10,000/– रू0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में **एक – एक माह** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

14. सत्र परीक्षण सं0–898/2025, मु0अ0सं0 884/2024, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामलें में **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत अपराध हेतु अभियुक्तगण **युसुफ खां, मुम्त्याज बानो, शमसाद खां** व **शराफत अली** उपरोक्त को **एक–एक वर्ष** के कारावास से तथा **मु0–5,000–5,000/– रू0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में **पन्द्रह – पन्द्रह दिन** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

15. सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी तथा अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी समयावधि उपरोक्त दण्डावधि में नियमानुसार समायोजित की जावेगी।

16. अभियुक्तगण द्वारा जमा की गयी अर्थदण्ड की धनराशि मु0–60,000/– रूपये में से धनराशि मु0–25,000–25,000/–रूपये, क्षतिपूर्ति के रूप में मृतका शाजिया के दोनों बच्चों को अदा की जाये।

17. अभियुक्तगण का सजायावी वारंट तैयार किया जाए एवं उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, बरेली भेजा जाए।

18. इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क नियमानुसार प्रदान की जाए।

19. माल मुकदमाती यदि कोई हो वाद मियाद अपील/अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार विनष्ट किया जाए।

दिनॉकः 05.06.2026

(प्रदीप कुमार सिंह–II),
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉकः 05.06.2026

(प्रदीप कुमार सिंह–II),
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 16:28:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court